

उत्तराखण्ड शासन



ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग पी०एम०जी०एस०वाई०, कर्णप्रयाग।

खण्ड का नाम— ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड कर्णप्रयाग, जनपद
चमोली।

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज—XIII
के अन्तर्गत मींग गदेरा से डांगतोली मोटर मार्ग का
निर्माण।

प्रभावित होने वाली भूमि
का विवरण—

1. नाप भूमि	— 3.290 है०
2. सिविल वनभूमि हेतु	— 2.572 है०
3. वन पंचायत भूमि	— 1.347 है०
कुल भूमि	— 7.209 है०

हस्तान्तरण आवेदित वनभूमि	— 3.919 है०
--------------------------	-------------

मार्ग की कुल लम्बाई — 16.725 कि०मी०।

पूर्व निर्मित मार्ग की लम्बाई — 6.425 कि०मी०।

वर्तमान में निर्माण हेतु आवेदित लम्बाई — 10.300 कि०मी०।



①
Annexure- 1.1

**Office of the Executive Engineer
Rural Engineering Services Department
PMGSY, Karanprayag**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

Address- Near GMVN Tourist Lodge
Badrinath Road, Karanprayag
Distt- Chamoli
Uttarakhand- 246 444

No.- 815/4- Tech/Forest/PMGSY/2014-15

Date- 30-12-2014

To Whom It May Concern to

Name of the Work- Diversion of 3.919 Hectare of Forest Land in favour of Rural Development Department for construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY.

It is to state that Mr. Mohammad Nasir Hasan, Assistant Engineer, RES, PMGSY, PIU- Karanprayag-1 is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of PMGSY PIU- Karanprayag-1, i.e., user agency.


(V.S. Rawat)
Executive Engineer
RES, PIU-PMGSY, Karanprayag-1
District-Chamoli

डिजिटल मैप - जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत मीग गधेरा से डागतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 16.725 किमी०)

INDEX OF LAND

- CIVIL LAND
- NAP LAND
- VAN PANCHAYAT LAND

0 0.5 1 1.5 Km



79°22'30"E

79°24'0"E

79°25'30"E

79°27'0"E

30°7'30"N

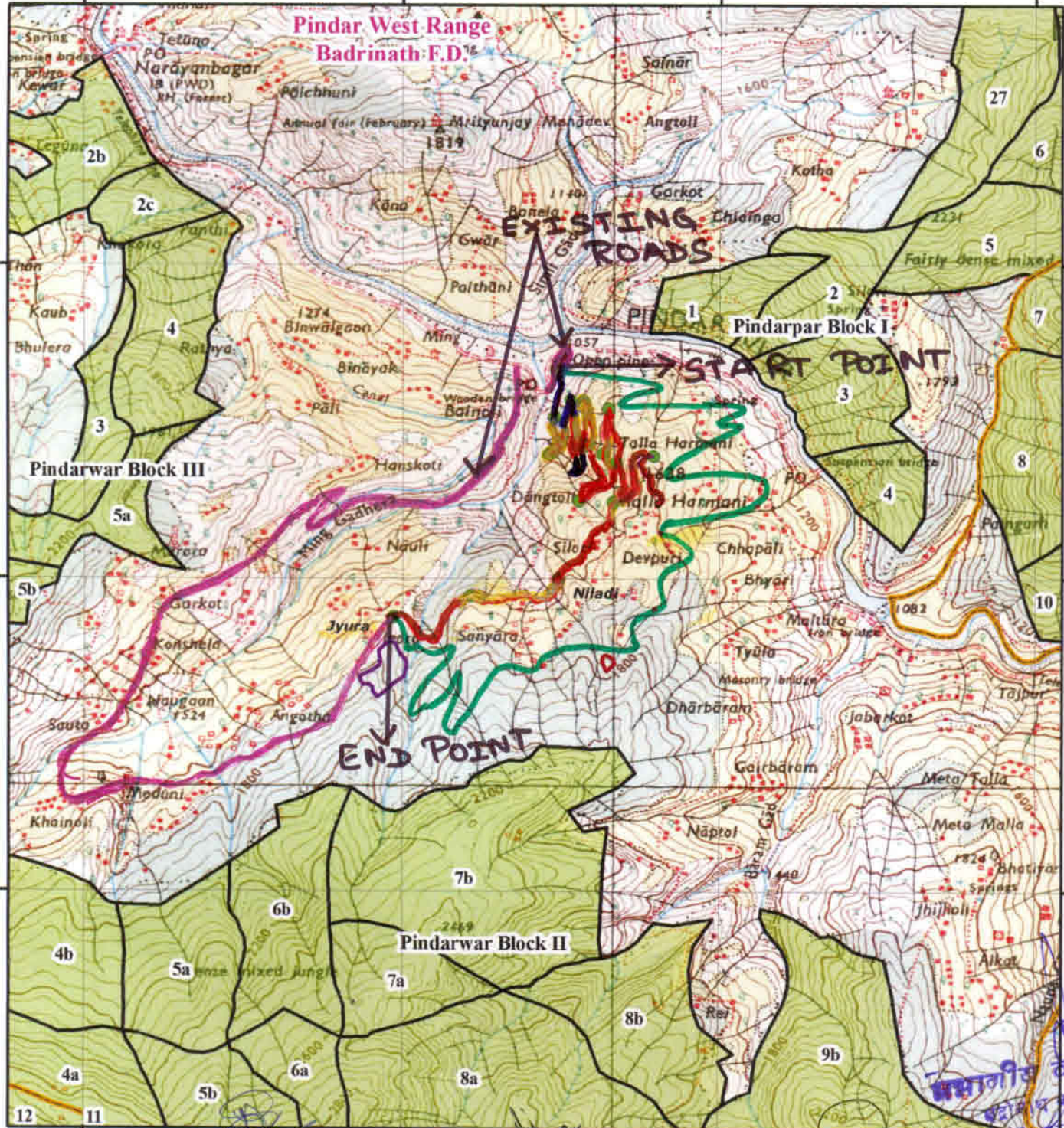
30°7'30"N

30°6'0"N

30°6'0"N

30°4'30"N

30°4'30"N



Legend

- Proposed Road
- Proposed Devpuri Link Road
- EXISTING ROAD
- Plantation Saner Civil 1.819 ha
- Plantation Jyura Civil 2.100 ha
- ALTERNATE ROAD

- Dumping Zone
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग

पी० एम० जी० एस० वाई०

उपमंडल कार्यालय

अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग

समर्पित पी.एम.जी.एस.वाई

विनयेताधिकारी
असेट सिमली रेंज
नारायणबाग

T. H. R.

S. D. M.

प्रभागीय अधिकारी

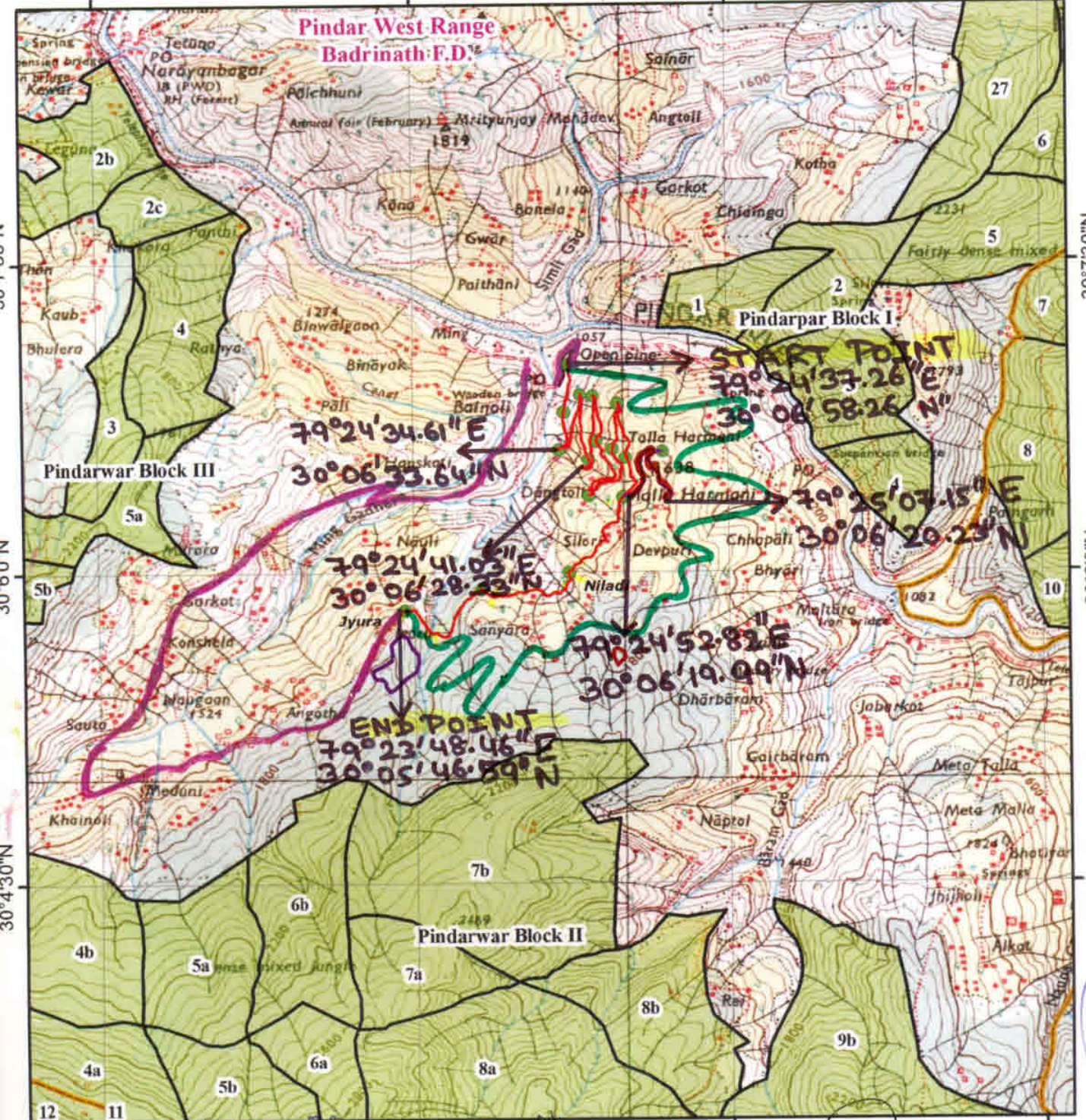
फोन नं० 01372-252

डेजिटल मैप - जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत मीग गधेरा से डागतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 16.725 किमी0)

0 0.5 1 1.5 Km



79°22'30"E 79°24'0"E 79°25'30"E 79°27'0"E



Legend

- Proposed Road
- Proposed Devpuri Link Road
- Plantation Saner Civil 1.819 ha
- Plantation Jyura Civil 2.100 ha
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0
डम्पिंग ज़ोन
अविशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0

जिम्मा अधिकारी
चमोली
वनाधिकारी
चमोली
तहसील नगर
चमोली



वर्ग १०

३।१। विष्णुः

225

Name of the Project: Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Phase-XIII

Description of the Land Required-

The total length of the road is 16.725 km. For the initial length of 1.00 km (from 0.00 km to 1.00 km), forest clearance was granted by the Government of Uttarakhand for 0.60 hectare of land through letter no.-G.I.-/2563/7-1-2011-600(3472)/2010 dated 11-07-2011 and for a length of 5.425 km (from 11.30 km to 16.725 km) forest clearance was granted by the Ministry of Environment and Forests, Government of India for 8.730 hectares of land through letter no. - 08B/UCP/06/169/2009/FC/1033 dated 04-12-2013. Thus out of the total length of 16.725 km of road, forest clearance has already been obtained for 6.425 km. The proposal hereby being submitted is for the balance 10.30 km of the road.

The description of the land required for remaining 10.30 km of the road is as under-

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| a) Private land | - 4700 m x 7 m = 32900 sq.m. | = 3.290 Hectare. |
| b) Civil Land | - 3675 m x 7 m = 25725 sq.m. | = 2.572 Hectare. |
| c) Van Panchayat Land | - 1925 m x 7 m = 13475 sq.m. | = 1.347 Hectare. |

Hence Forest Land Required to be diverted for the Construction of Road
= (2.572 + 1.347) Hectare
= **3.919 Hectare.**

It is to mention here that Village-Jyuda, Maroda, Dangtoli and Saned are the last targeted habitation in this reach under PMGSY and no further expansion / construction of the road shall be required in this area.

Status of Tree Felling-

There are total of 400 number of trees falling in the proposed alignment of the road. Out of 400 number of trees, 393 number of trees are of *Pinus Roxburghii Sargent (Cheed)* and 07 number of trees are of *Myrica esculenta Buch-Ham ex D.Don (Kafal)* falling in this alignment. Out of these 400 number of trees, 48 number of trees are of 0-10 diameter. Hence, the number of trees which are greater than 10 diameter are 352.

Brief Description of the Road-

The proposed road is for providing the connectivity to the village Dangtoli with a population of 383, village Devpuri with a population of 135, village Niladi with a population of 216, village Saned with a population of 258, village Jyuda with a population of 358 and village Maroda with a population of 331. Thus the total population being benefited with this road is 1681 and the road shall provide connectivity to 06 number of villages out of which 04 villages are having a population of 250+. The road is located in Block-Narayanbagar, District- Chamoli (Uttarakhand). The road passes through Van Panchayat Land, Private Land and Civil Land. The total length of the road is 16.725 km and Administrative approval for construction of the road was granted by Government of Uttarakhand vide letter no.- 1760 / P.3-14 / URRDA dated 14-12-2009 in Phase-VIII. It is state that the financial sanction for the works is now being granted by Government of India, after the clearance has been granted by the Ministry of Environment and Forests. Presently, Phase-XIII of PMGSY is under progress in the state of Uttarakhand. The expected approximate cost of the project, if sanctioned in phase-XIII shall be Rs. 1003.00 lakhs.

सहस्रमुखी नदी
समीप अभियन्त्रण सेवा विभाग
बीरपुराजीपुर रोवाई
अमरपुरा-का प्रियास

Executive Engineer
Rural Engineering Service Deptt.
(P.M.G.S.Y.)
Division Karanprayag

6

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area-

Presently the villagers (04 number of villages with a total population of 1330) have to walk through a distance of 5 to 15 km to meet their daily needs, as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity, the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity. The villages falling in this road are electrified and even have mobile connectivity, But due to no road connectivity, the development of the area is being hampered.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture. The villagers are forced to carry their cultivated crops such as *Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Gehun, Aaloo* etc. on their feet or by mules to the nearby market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical development of this area and migration of people from the village shall be minimized. The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 3.919 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. **Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees.** The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical / monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest Land area of **3.919 Hectare** may kindly be diverted for the construction of the road.


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी० एम० जी० एस० वाई०
उपखण्ड-कर्णप्रयाग


आवारासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समर्पित पी.एम.जी.एस. वाई
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

7

Attachment- 1.6

Annexure-I

FORM-I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. 3485 / 26-41 (2014-15)

Dated- 15.12.2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.919 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Juyda, Saned, Niladi, Dangtoli villages in Tharali Tehsil.

It is further certified that:-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.919 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~23, 23.1, 23.2~~ and 23(A). A, B & C
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: S. A. Murugesan (IAS)

चमोली

8

Annexure -22(A)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes
& Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri S.A. Murugesan (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 15.12.2014 at 4:00 PM at Chamoli in which the application claiming rights in Juyda, Saned, Niladi, Dangtoli villages in Tharali Tehsil, area measuring 3.919 Hectares for the Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Tharali Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


S. A. Murugesan (IAS)
District Magistrate cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

(9)

(B)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गंधेरा डोंगोली ~~मोटर~~
मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को
हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- थराली
उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मींग गंधेरा डोंगोली ~~मोटर~~
मार्ग (— है०) आरक्षित वन भूमि- — है० सिविल एवं सोयम वन भूमि- 0.572 है० वन पंचायत
भूमि अर्थात् कुल 3.919 है० वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड
स्तरीय समिति (तहसील- थराली) की दिनांक 10-12-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का
विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक प्रकाश
उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में
माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	श्री <u>विवेक प्रकाश</u>	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री <u>के.एल. भारती</u>	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री <u>मोहन चन्द्र अंजल</u>	सहाय समाज कल्याण अधिकारी, <u>एन.डी.ओ.</u>	सदस्य/सचिव
4	श्री <u>मदन सिंह</u>	क्षे०प०स० बलाण	सदस्य
5	श्री <u>हेमद्र सिंह</u>	क्षे०प०स० निलाडी	सदस्य
6	श्रीमती <u>कला देवी</u>	क्षे०प०स० ग्वालदम	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मींग गंधेरा डोंगोली
थराली मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.919 है० भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष
में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का
कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर
सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बबिनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट
करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का
दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनुरोधित जारी की जा चुकी है।
अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

10

(2)

मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.9.19 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चमोली
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चमोली
जनपद- चमोली

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मिंग गछेरा डांगतोली ~~का~~
मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को
हस्तान्तरण।

दिनांक 10/12/2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1	श्री <u>विवेक प्रकाश</u>	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	हो/ <u>[Signature]</u>
2	श्री <u>के. रमल भारती</u>	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य	<u>[Signature]</u>
3	श्री <u>मोहन चन्द्र अचल</u>	सहाय समाज कल्याण अधिकारी/ <u>ए.बी.डी. ओ.</u>	सदस्य/सचिव	<u>[Signature]</u> <u>ABD</u>
4	श्री <u>मदन सिंह</u>	क्षेत्रीय बलाण	सदस्य	<u>[Signature]</u>
5	श्री <u>हेन्दू सिंह</u>	क्षेत्रीय निलाडी	सदस्य	<u>[Signature]</u> <u>Horendubirah</u>
6	श्रीमती <u>कला देवी</u>	क्षेत्रीय ग्वालदम	सदस्य	<u>[Signature]</u> <u>Kala</u>

12

(C)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोगाजहरा डांगलोली जखड़ा
मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम:- डांगलोली मिलाड़ी जखड़ा
तहसील:- हरमली, जनपद-चमोली।

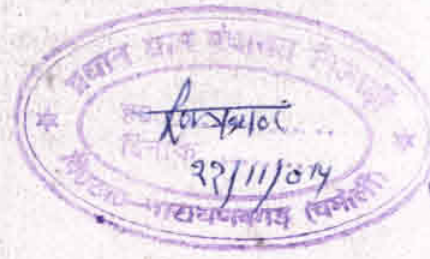
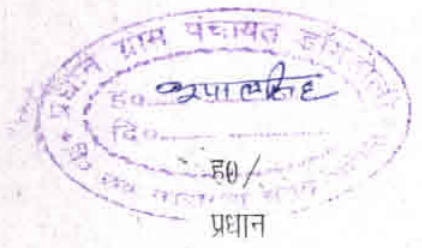
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में मोगाजहरा डांगलोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (.....
है० आरक्षित वन भूमि, है०, सिविल भूमि ०.५७२ है० वन पंचायत भूमि १.३५७ है०) अर्थात् कुल
३.९१९ है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम में पंचायत डांगलोली द्वारा दिनांक २२-११-१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डांगलोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ३.९१९ है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

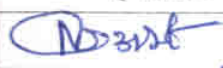
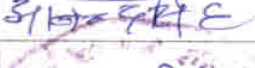
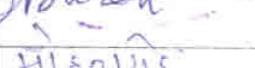
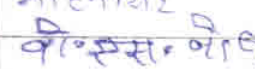
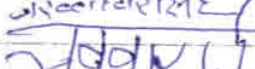
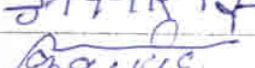
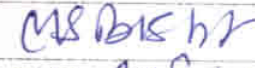
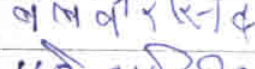
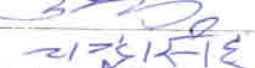
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
है०/ क्षेत्र हरमली
ग्राम सचिव डांगलोली (चमोली)

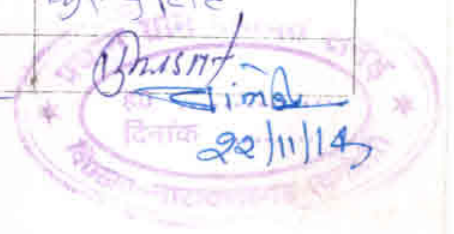
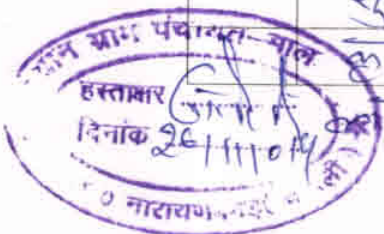


नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक- 22-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम- ~~राजगौरा~~ ~~मिलाना~~ ~~जुहा~~ ~~सन्ने~~

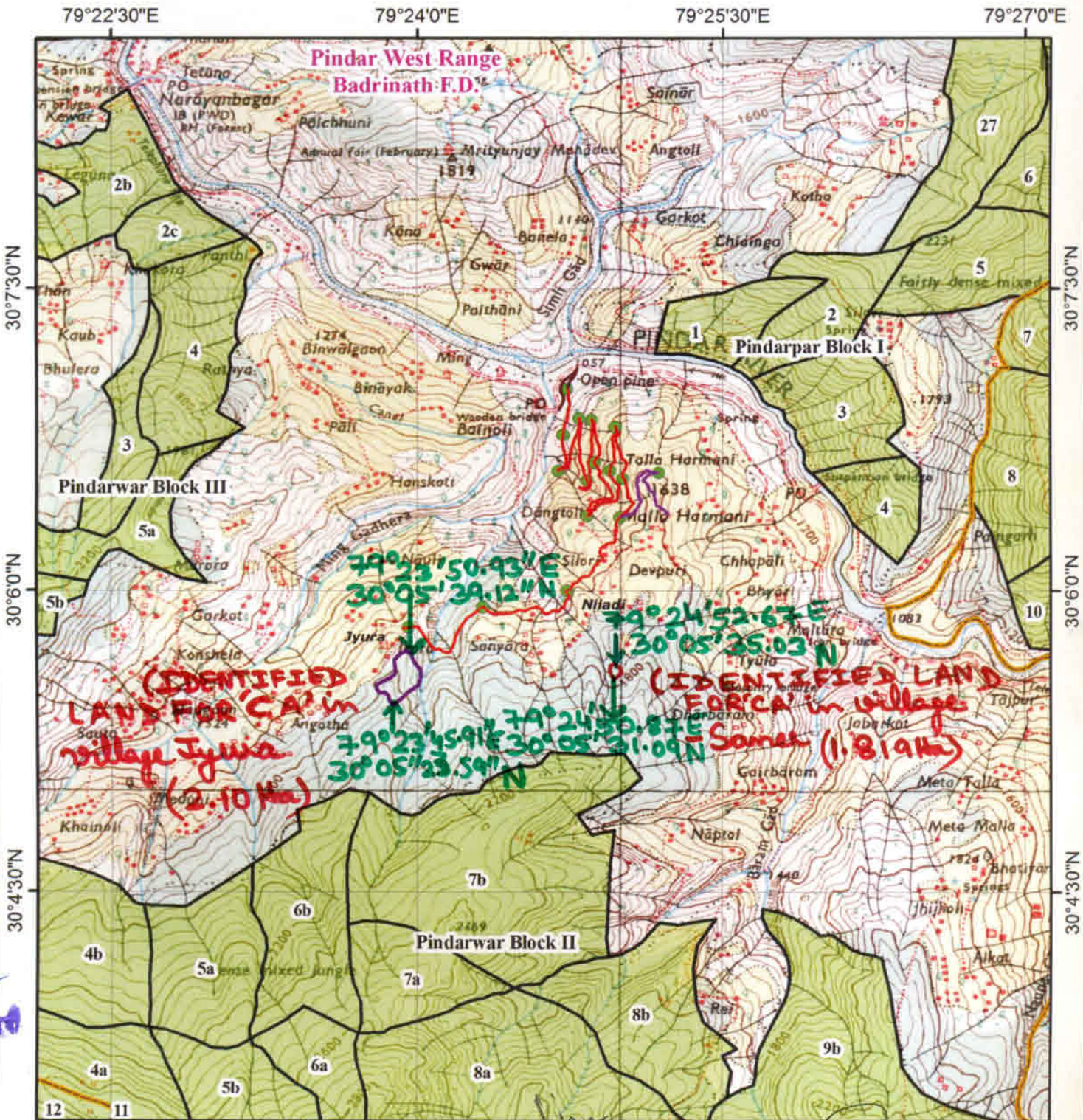
क्र०स०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेन्द्र सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता)	
2.	दलीप सिंह (रिटायर्ड मैट्रॉन)	
3.	सुजान सिंह नेगी (कार्पेट कमचारी शिक्षाविभाग)	
4.	आनन्द सिंह	
5.	हरन्द सिंह ग्राम सरपंच	
6.	जानक्यो सिंह	
7.	उदय सिंह	
8.	मुकुन्द सिंह	
9.	कठोरा सिंह	
10.	धर्म सिंह	
11.	मोहन सिंह	
12.	वलवता सिंह	
13.	आनन्द सिंह	
14.	राजगौरा सिंह ग्राम पंचायत माल	
15.		
16.	शिलोक सिंह	
	वरवतावर सिंह	
	अवतार सिंह	
	(बुवरा सिंह नेगी)	
	गुमान सिंह	
	रमेश चन्द	
	महिपाल सिंह	
	वलवीर सिंह	
	राजेंद्र सिंह (रिटायर्ड इंस्पेक्टर)	
	शिलोक सिंह	
	चन्द सिंह	
	सुरेंद्र सिंह	
	रूपान सिंह	
	बलवत सिंह	



डिजिटल मैप – जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत मीग गधेरा से डागतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 16.725 किमी०)



0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Proposed Road
- Proposed Devpuri Link Road
- Road Under Construction up 1.00 Km
- Plantation Saner Civil 1.019 ha
- Plantation Jyura Civil 2.100 ha

- Dumping Zone
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

वनक्षेत्राधिकारी
असेट सिमली रेंज
नारायणबागड

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
जनपद-कण्यकुमारी

अधिसारी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
कण्यकुमारी

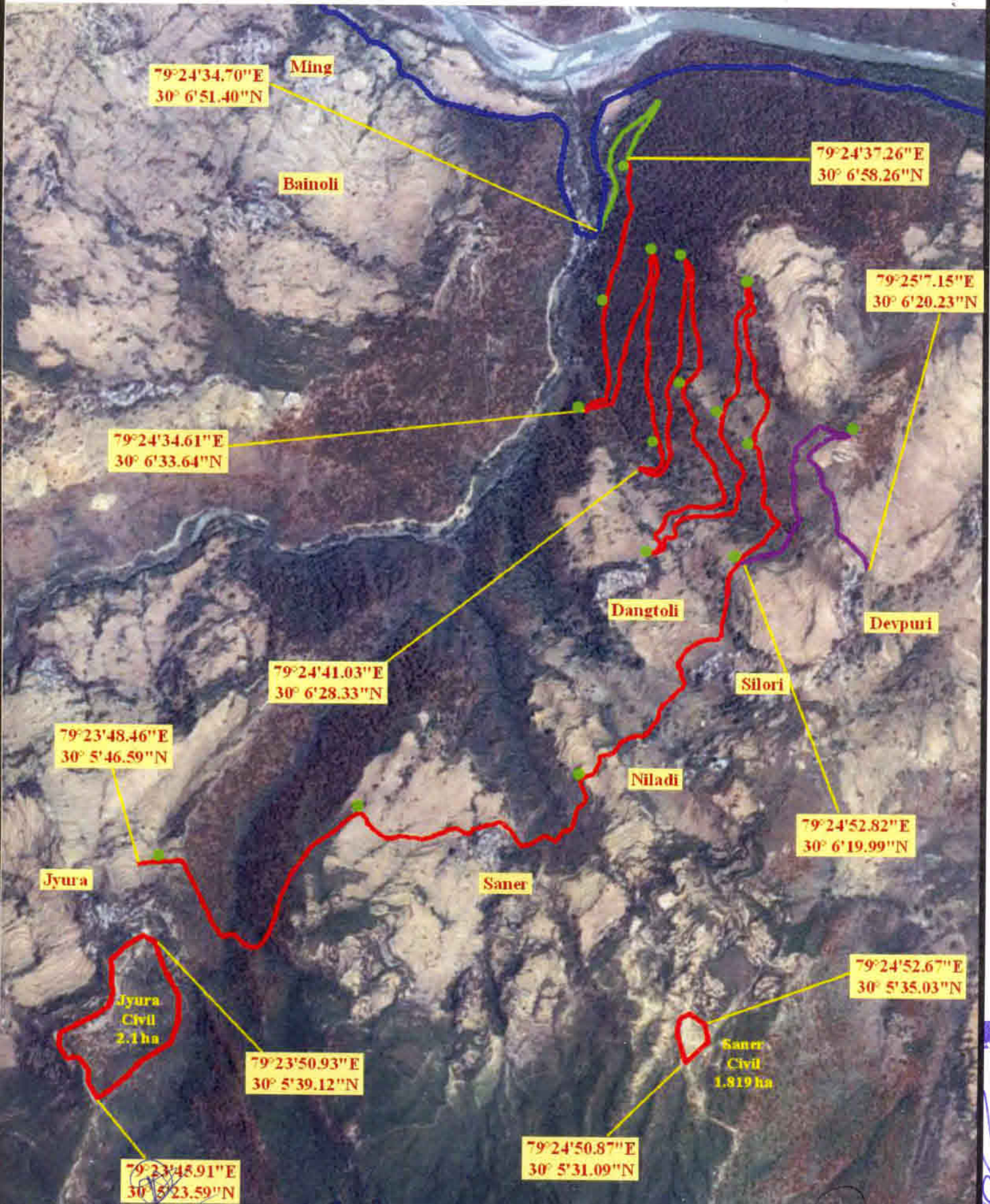
प्रमुख अभियन्ता

उपनिर्देशक

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत मीग गधेरा से डागतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 16.725 किमी०)



12



Legend

- Proposed Road
- Proposed Devpuri Link Road
- Road Under Construction up to 1.00 Km

असेड सिमली रेंज

कामप्रयाग गवालदम हाइवे

Proposed Plantation Civil Land

Dumping Zone

ग्रामीण अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग

पी०एम०जी०एस०वाई०

उपखण्ड-कर्मप्रयाग

आयोजना अधिकारी

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग

समर्पित पी०एम०जी०एस०वाई०

चमोली

S. D. M.

(16) Attachment 1.9
भूमिधरों का विवरण - अनापत्ति एवं भूमिधर देने का प्रमाण
 नाम भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ~~मी. डी. डी. डी.~~ मीटर मार्ग निर्माण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है। तथा हम अपनी भूमि विभागीय दरों पर देने हेतु सहर्ष सहमत है।

क्र.सं०	भूमिधरों का नाम	खसरा नं०	अर्जित की जानी वाली भूमि कर क्षेत्रफल है० मे	हरताक्षर
1	नरैन्द्रसिंह सिंह	461	0.027	विश्व
2	दलीपसिंह	462	1.014	गुजरा
3	अशोकसिंह	469	0.016	अशोकसिंह
4	धीरजसिंह	460	0.011	धीरजसिंह
5	शुक्लसिंह	187	0.019	शुक्लसिंह
6	सुजानसिंह	188	0.007	सुजानसिंह
7	कचनसिंह	189	0.040	कचनसिंह
8	श्यामसिंह	203	0.010	श्यामसिंह
9	मनसिंह	202	0.025	मनसिंह
10	इन्द्रसिंह	445	0.028	इन्द्रसिंह
11	मोहनसिंह	446	0.030	मोहनसिंह
12	शुक्लसिंह	448	0.040	शुक्लसिंह
13	मानसिंह	622	0.056	मानसिंह
14	हरेंद्रसिंह	623	0.020	हरेंद्रसिंह
15	विश्वसिंह	624	0.021	विश्वसिंह
16	लालोकसिंह	625	0.019	लालोकसिंह
17	वीरेंद्रसिंह	626	0.007	वीरेंद्रसिंह
18	इन्द्रसिंह	1323	0.011	इन्द्रसिंह
19	विजयसिंह	1324	0.018	विजयसिंह
20	महेन्द्रसिंह	1341	0.031	महेन्द्रसिंह
21	कुन्दनसिंह	1342	0.025	कुन्दनसिंह
22	महिपालसिंह	1343	0.028	महिपालसिंह
23	गजेंद्रसिंह	139	0.040	गजेंद्रसिंह
24	सुशामसिंह	999	0.025	सुशामसिंह
25	दर्शनसिंह	998	0.045	दर्शनसिंह
26	उदेंद्रसिंह		0.030	उदेंद्रसिंह

सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
 पीएमजीएस नवसरा
 नयखण्ड-क प्रयाग

17

क्र०सं०	भूमिधरो का नाम	खसरा नं०	अर्जित की जानी वाली भूमि कर क्षेत्रफल है० में	हस्ताक्षर
27	वल्लभसिंह	474	0.035	विश्वनाथ
28	लक्ष्मी देवी	478	0.040	लक्ष्मी
29	लक्ष्मणसिंह	479	0.011	लक्ष्मण
30	लुकरसिंह	418	10.10	लुकर
31	पानसिंह	419	0.016	पानसिंह
32	मोहनसिंह	420	0.015	मोहनसिंह
33	नारायणसिंह	274	0.020	Narayan
34	पुष्करसिंह	275	0.025	Puskarni
35	जसपालसिंह	276	0.0011	जसपालसिंह
36	श्रीलालसिंह	954	0.007	श्रीलालसिंह
37	विसनसिंह	955	0.013	विसनसिंह
38	श्यामसिंह	956	0.010	श्यामसिंह
39	महापालसिंह	957	0.005	महापाल
40	हरकसिंह	268	0.0040	हरकसिंह
41	दिवससिंह	259	0.025	दिवससिंह
42	सुन्दरसिंह	260	0.030	सुन्दरसिंह
43	कीर्तिसिंह	261	1.023	कीर्ति
		43	3.2900	

बटवारी क्षेत्र...
बटवारी क्षेत्र...
बटवारी क्षेत्र...
बटवारी क्षेत्र...

सहायक आयुक्त
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०ए० रोडवाई०
उपरखण्ड-का प्रभाग

20/12/2017

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, प्रखण्ड कर्णप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि सी0/0/वेरा
डो/ग/हो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2014 के 10 महीने की 15 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1- यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2-यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्वेक्षण एवं पार प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हस्तांतरण ग्राम निन्वय विभाग के नाम किया जायेगा।

3-यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर पर किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किए और अपने मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर नाम भूमिधर पिता का नाम ग्रामस्थ

नाम:-इ0वी0एस0रावत,

पदनाम:-अधिशासी अभियन्ता,

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग

प्रखण्ड-कर्णप्रयाग

Executive Engineer

Rural Engineering Service Deptt.

(P.M.G.S.Y.)

Division Karanprayag

Executive Engineer
Rural Engineering Service Deptt.
(P.M.G.S.Y.)
Division Karanprayag

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग

पी0एम0जी0एस0वाई0

प्रखण्ड-कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र
पटवारी
पटवारी
पटवारी

- 1- नरेन्द्र सिंह दरवान सिंह
- 2- दलीप सिंह गुमान सिंह
- 3- प्रशान्त सिंह बलवंत सिंह कल्याण सिंह
- 4- धीरज सिंह मधो सिंह
- 5- पुष्कर सिंह जेहखान सिंह
- 6- गुजान सिंह मधो सिंह
- 7- कचन सिंह रतन सिंह
- 8- श्रुपाल सिंह रतन सिंह
- 9- अमान सिंह नारायण सिंह
- 10- इन्द्र सिंह दलीप सिंह
- 11- मोहन सिंह नारायण सिंह
- 12- पुष्कर सिंह गोपबल सिंह
- 13- आनन्द सिंह बाग सिंह
- 14- हरिन्द्र सिंह शिव सिंह
- 15- विष्णु सिंह चन्द सिंह

- 17 ~~मिलिसेविट श. म. व्या. सि. ह.~~
- 18 ~~वीरेन्द्रसिंह श. (कुमदनसिंह)~~
- 19 ~~इन्द्रसिंह श. रत्न सिंह~~
- 20 ~~विजयसिंह श. व. वें. सिंह~~
- 21 ~~महेन्द्रसिंह श. अवधारी सिंह~~
- 22 ~~कुमदनसिंह श. सूर्यप. सिंह~~
- 23 ~~महिपालसिंह श. म. म. म. सिंह~~
- 24 ~~श. म. सिंह श. म. म. म. सिंह~~
- 25 ~~श. म. सिंह श. म. म. म. सिंह~~

ह. म.
~~मिलिसेविट~~
~~वीरेन्द्रसिंह~~
~~इन्द्रसिंह~~
~~Vijaybhai~~
~~Mahipal~~
~~कुमदनसिंह~~
~~महिपालसिंह~~
~~म. म. म. सिंह~~

Name
 सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
 पी. 0. एम. 0. जी. 0. ए. 0. ए. 0.
 उपखण्ड-का. प्रयाग



प्रधान
 शांतिगोला



प्रधान
 शांतिगोला



प्रधान
 शांतिगोला

20

Attachment-2.1

Name of the Project: Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Phase-XIII

Description of the Land Required-

The total length of the road is 16.725 km. For the initial length of 1.00 km (from 0.00 km to 1.00 km), forest clearance was granted by the Government of Uttarakhand for 0.60 hectare of land through letter no.-G.I.-/2563/7-1-2011-600(3472)/2010 dated 11-07-2011 and for a length of 5.425 km (from 1.30 km to 16.725 km) forest clearance was granted by the Ministry of Environment and Forests, Government of India for 8.730 hectares of land through letter no. - 08B/UCP/06/169/2009/FC/1033 dated 04-12-2013. Thus out of the total length of 16.725 km of road, forest clearance has already been obtained for 6.425 km. The proposal hereby being submitted is for the balance 10.30 km of the road.

The description of the land required for remaining 10.30 km of the road is as under-

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| a) Private land | - 4700 m x 7 m = 32900 sq.m. | = 3.290 Hectare. |
| b) Civil Land | - 3675 m x 7 m = 25725 sq.m. | = 2.572 Hectare. |
| c) Van Panchayat Land | - 1925 m x 7 m = 13475 sq.m. | = 1.347 Hectare. |

Hence Forest Land Required to be diverted for the Construction of Road
 = (2.572 + 1.347) Hectare
 = 3.919 Hectare.

It is to mention here that Village-Jyuda, Maroda, Dangtoli and Saned are the last targeted habitation in this reach under PMGSY and no further expansion / construction of the road shall be required in this area.

Status of Tree Felling-

There are total of 400 number of trees falling in the proposed alignment of the road. Out of 400 number of trees, 393 number of trees are of *Pinus Roxburghii Sargent (Cheed)* and 07 number of trees are of *Myrica esculenta Buch-Ham ex D.Don (Kafal)* falling in this alignment. Out of these 400 number of trees, 48 number of trees are of 0-10 diameter. Hence, the number of trees which are greater than 10 diameter are 352.

Brief Description of the Road-

The proposed road is for providing the connectivity to the village Dangtoli with a population of 383, village Devpuri with a population of 135, village Niladi with a population of 216, village Saned with a population of 258, village Jyuda with a population of 358 and village Maroda with a population of 331. Thus the total population being benefited with this road is 1681 and the road shall provide connectivity to 06 number of villages out of which 04 villages are having a population of 250+. The road is located in Block-Narayanbagar, District- Chamoli (Uttarakhand). The road passes through Van Panchayat Land, Private Land and Civil Land. The total length of the road is 16.725 km and

Nave
 सहारा अगियन्ता
 सामाजिक अभिवृद्धि सेवा विभाग
 श्री 0 एम्.जी.डी. अड्डा
 उत्तराखण्ड-कॉम्प्लेक्स

Yamun
 Executive Engineer
 Rural Engineering Service Deptt.
 (P.M.G.S.Y.)
 Division Karanprayag

(21)

Administrative approval for construction of the road was granted by Government of Uttarakhand vide letter no.- 1760 / P.3-14 / URRDA dated 14-12-2009 in Phase-VIII. It is state that the financial sanction for the works is now being granted by Government of India, after the clearance has been granted by the Ministry of Environment and Forests. Presently, Phase-XIII of PMGSY is under progress in the state of Uttarakhand. The expected approximate cost of the project, if sanctioned in phase-XIII shall be Rs. 1003.00 lakhs.

Importance / Necessity of the Project-

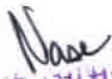
Presently the villagers (04 number of villages with a total population of 1330) have to walk through a distance of 5 to 15 km to meet their daily needs, as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity, the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity. The villages falling in this road are electrified and even have mobile connectivity, But due to no road connectivity, the development of the area is being hampered.

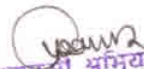
Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture. The villagers are forced to carry their cultivated crops such as *Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Gehun, Aaloo* etc. on their feet or by mules to the nearby market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical development of this area and migration of people from the village shall be minimized. Providing of the road connectivity shall generate new employment opportunities for the villagers and children shall be able to pursue better education. At present there is no primary health centre or veterinary hospital in the village. The villagers are deprived of the important Government Schemes meant for the welfare of general public such as 108 Ambulance Scheme in cases of emergencies, Cooking Gas Services etc. Road connectivity shall enhance the prospects of villagers being able to take use of such basic services.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 3.919 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical / monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest Land area of 3.919 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


राज्यक आभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी० एम० जी० एस० वाई०
उत्तराखण्ड-कन्यागुरु


आधुनिकी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समपित पी.एम.जी.एस. वाई
प्रखण्ड कर्णप्रसाद

22

A-2.2

13

मा.स्व.पू. / पी.व.व.

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 1760 / पी03-14 / यू.आर.आर.डी.ए. / 09

दिनांक: 14 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-VIII के अन्तर्गत 250-499 तक जनसंख्या वाली असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु जनपदवार संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार 171 मार्गों, अनुमानित लम्बाई 1277.00 किमी० का चयन कोर नेटवर्क के अनुसार Comprehensive New Connectivity Priority List (CNCPL) से किया गया है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण, डी०पी०आर० एवं पैकेज गठन तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रेषित किये जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(ओम प्रकाश)

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी एवं कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड।

संलग्नक: यथोपरि।

Anshu K

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

23

12

S. No.	Block	Unconnected Target Habitation	Population	Name of Road		Approx. Length (Km)	Habitations to be connected
				From	To		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Sult	Khatoli	256	Shokhati	Khatoli	5.00	Khatoli(256)
33	Sult	Shailain	254	Shashikhal	Syalion	12.00	Syalion(254)
				Total		245.00	
District : Bageshwar							
34	Bageshwar	Kholdari	414	Balighat Dofar	Khuldor Rd	9.00	Kholdari(414)
35	Bageshwar	Junayal	405	Jarkhot Sundil	Sundil Junayal	2.00	Junayal(405)
36	Bageshwar	Ukhalson	333	Bijarijhal	Ukhalson	5.00	Ukhalson(333)
37	Kapkot	Khati	307	Wacham	Khati	6.00	Khati(307)
38	Garur	Bunga	387	Dangoli	Bunga	5.00	Bunga (387)
39	Garur	Simgari	442	Simgari Rd Extension Dakghat	Simgari	3.00	Simgari (442)
40	Garur	Loha Gari	292	Rolyana	Loha Gari	10.00	Loha Gari (292), Thepura Bajwar (284)
				Total		40.00	
District : Chamoli							
41	Pokhri	Ali	495	Pokhari	Kandai	16.00	Ali(495), Kandai(355), Mayoli lagga gugli(352), Sarnachain(284), Sauda Mangra(301)
42	Pokhri	Tunje	484	Jaurasi	Tunje	10.00	Tunje(484)
43	Narayanbagar	Bhatiyana	463	Rains	Bhatiyana	35.00	Bhatiyana(463), Kothali(401), Chirkhum(365), Sunbhi(272)
44	Karnaprayag	Dungri	461	Naini I.C	Dungri	5.00	Dungri(461)
45	Joshimath	Ganai	447	Langsi	Molta	18.00	Ganai(447), Pagnau(431), Molta(390)
46	Gairsain	Sirana	422	Jangalechatti	Sirana	4.00	Sirana(422)
47	Gairsain	Kalchunda	410	Dewaldhar	Kalchuna	7.00	Kalchunda(410)
48	Joshimath	Karchhoi	391	Tapoban	Karchhoi	7.00	Karchhoi(391)
49	Gairsain	Naini	386	Laltu Gair	Naini	4.00	Naini(386)
50	Joshimath	Kimana	384	Helong	Damak	25.00	Kimana(384), Palla(331), Kalgaot(319), Dumak(284)
51	Gairsain	Kushrani Malli	379	Langbagar	Jhumakhet Uttari	11.00	Kushrani Malli(379), Jhumakhet Talla(369), Jhumakhet Uttari(342)
52	Gairsain	Langtai	369	Sugar Band	Silapata	15.00	Langtai(369), Pyura(324), Sugar(300), Silpata(323)
53	Narayanbagar	Jyuda	358	Meeh Gudra	Dangtoli	16.00	Jyuda(358), Maroda(331), Dangtoli(383), Saned(258)
54	Pokhari	Shrigadh	347	Hapla-Dhotidhar Motor Road	Shrigadh	4.00	Shrigadh (347)
55	Karnaprayag	Dada Damdha	345	Gauchar	Damdha	25.00	Dada Damdha(345), Duwa(286)
56	Pokhri	Talli Kansari	339	Mohankhal	Talli Kansari	6.00	Talli Kansari(339)
7	Tharali	Main	335	Tharali-Dungari-Ruisain Motor Road	Main	5.00	Main (335)

30

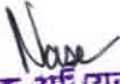
Regarding Financial Sanction

Name of the Project: Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY.

The administrative sanction for the project has been granted by the Uttarakhand Government through letter number 1760 /P-3-14/URRDA/09 dated 14-12-2014 in Phase-VIII.

Presently, Phase-XIII is under progress for the state of Uttarakhand and Financial Sanction of the works is being granted by the Government of India after obtaining prior approval from the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

The Approximate cost of the project, if sanctioned under Phase-XIII of PMGSY, shall be 1003.00 lacs.


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभिवृत्त सेवा विभाग
पीएमएसजीएच, रुद्रप्रयाग
उत्तराखण्ड-काशीप्रयाग


Executive Engineer
Rural Engineering Service Deptt.
(P.M.G.S.Y.)
Division Karanprayag

(25)

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नाम - जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत (फेज-13) मींग गधेरा से डांगतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 18.12.2014 को पी0एम0जी0एस0वाई0, कर्णप्रयाग, चमोली के द्वारा मींग गधेरा से डांगतोली तक बनाये जाने वाले मार्ग हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री महिपाल सिंह नेगी - वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री रणजीत सिंह - राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री टेक सिंह कनवासी - कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री नासिर हसन - सहायक अभियन्ता, तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री भोपाल सिंह - प्रधान ग्राम डांगतोली, श्री शिशुपाल सिंह - ग्राम प्रधान सनेड, श्री रणवीर राम - ग्राम प्रधान निलाडी के द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक समरेखणों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखण सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 4700 मी0 नाप भूमि से, 3675 मी0 सिविल भूमि से, 1925 मी0 वन पंचायत से, शून्य मी0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में कुल 3.290 हे0 नाप भूमि, 2.572 हे0 सिविल भूमि, 1.347 हे0 वन पंचायत भूमि, शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.919 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर लगभग 400 वृक्ष हैं जो कि चीड़, काफल एवं खडीक प्रजाति के हैं जो कि इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। 400 वृक्षों में से 48 वृक्षों का व्यास 0 से 10 है। इस प्रकार वन भूमि में कुल 352 वृक्ष जिनका व्यास 0-10 से अधिक है, प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.00 मी0 चौड़ाई में तैयार किया गया है तथा वृक्षों की गणना 6.00 मी0 की चौड़ाई में की गयी है।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 5200 मी0 नाप भूमि से, 4120 मी0 सिविल भूमि से, 2080 मी0 वन पंचायत से, शून्य मी0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में कुल 3.640 हे0 नाप भूमि, 2.884 हे0 सिविल भूमि, 1.456 हे0 वन पंचायत भूमि, शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.340 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर लगभग 525 से अधिक वृक्ष चीड़, काफल एवं खडीक प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये समरेखण में वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त समरेखण आरक्षित वन कक्षों से नहीं गुजरेगा/में स्थित है। परियोजना में पडने वाली नाप भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा वन भूमि पर चीड़, काफल एवं खडीक प्रजाति के वृक्ष हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.2 (Dense Forest) है।

चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $79^{\circ}24'37.26''$ E, $30^{\circ}06'58.26''$ N है तथा यह स्थल ग्राम मींग से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम ज्यूडा है जिसका GPS मान $79^{\circ}23'48.46''$ E, $30^{\circ}05'46.59''$ N है। चुने गये समरेखण के बीच के स्थलों के GPS मान $79^{\circ}24'34.61''$ E, $30^{\circ}06'33.64''$ N; $79^{\circ}24'41.03''$ E, $30^{\circ}06'28.33''$ N; $79^{\circ}24'52.82''$ E, $30^{\circ}06'19.99''$ N; $79^{\circ}25'07.15''$ E, $30^{\circ}06'20.23''$ N हैं।

चयनित समरेखण में किसी भी प्रजाति के पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

चयनित उपयुक्त समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर मींग गधेरा से डांगतोली के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 16 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान

Sl. No.	Longitude	Latitude
1	$79^{\circ}24'37.154''$ E	$30^{\circ}6'58.151''$ N
2	$79^{\circ}24'36.042''$ E	$30^{\circ}6'44.267''$ N
3	$79^{\circ}24'34.605''$ E	$30^{\circ}6'33.654''$ N
4	$79^{\circ}24'40.778''$ E	$30^{\circ}6'49.454''$ N
5	$79^{\circ}24'44.370''$ E	$30^{\circ}6'48.996''$ N
6	$79^{\circ}24'45.204''$ E	$30^{\circ}6'36.038''$ N
7	$79^{\circ}24'49.895''$ E	$30^{\circ}6'33.752''$ N
8	$79^{\circ}24'43.118''$ E	$30^{\circ}6'20.360''$ N
9	$79^{\circ}24'51.454''$ E	$30^{\circ}6'46.802''$ N
10	$79^{\circ}24'53.645''$ E	$30^{\circ}6'31.244''$ N
11	$79^{\circ}24'43.129''$ E	$30^{\circ}6'30.792''$ N
12	$79^{\circ}25'4.287''$ E	$30^{\circ}6'33.870''$ N
13	$79^{\circ}24'52.781''$ E	$30^{\circ}6'19.983''$ N
14	$79^{\circ}24'37.123''$ E	$30^{\circ}5'58.087''$ N
15	$79^{\circ}23'50.458''$ E	$30^{\circ}5'47.026''$ N
16	$79^{\circ}24'12.330''$ E	$30^{\circ}5'53.089''$ N

मलवा निस्तारण हेतु सभी डम्पिंग जोन नाप भूमि में प्रस्तावित हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्तण सेवा विभाग
(पीएलएनओ/एसएनओ)
एनएल, कर्नाटक

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्तण सेवा विभाग
१० एम० जी० एस० वाई०
नगरपालिका, कर्नाटक

(सिद्धार्थ सिंह नेगी)
१०/१०

परवर्तन
राजस्थान उप निरीक्षक कुलसार्
तहसील धराली
जनपद बम्बोली

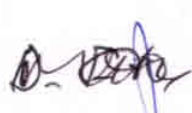
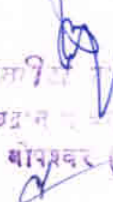


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रमाण पत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गधेरा डांगतोली ~~मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन पंचायत भूमि 1.347 है० सिविल भूमि 2.572 है० कुल 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 16.08.2013 को जनपद चमोली में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गधेरा-डांगतोली ~~मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु किमी० 0.00 से 10.300 किमी० तक का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग की ओर से श्री महिपाल सिंह नेगी वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्री करीम बख्श सिद्धकी पटवारी गढकोट तथा याचक विभाग की ओर से कनिष्ठ अभियन्ता, श्री टेक सिंह कनवासी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया मार्ग में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा इस संरेखण में कुल सिविल/वन पंचायत भूमि 3.919 है० प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। एवं मोटर मार्ग निर्माण हेतु याचित भूमि न्यूनतम है। मार्ग का संरेखण इस प्रकार किया गया है, कि वन सम्पदा जैसे वृक्षों का कम से कम नुकसान हो। उक्त मोटर मार्ग पर कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है। आवेदित भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है। उनकी गणना 6.00 मी० चौ० में की गई है, तथा सूची संलग्न है।

 अमीन  ए० की० सिविल उत्तरी क्षेत्र 51.6 की० चमोली	 सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता पी० एम० जी० एस० वाई० उत्तरी कर्णप्रवाग  तहसीलदार थराली	 अधिसारी अभियन्ता अधिसारी अभियन्ता समर्थित पी.एम.जी.एस वाई प्रखण्ड कर्णप्रवाग  उपजिलाधिकारी थराली	 वन दरोगा  वनक्षेत्राधिकारी असेट् सिमली रेंज नारायणबगड़
 प्रभागीय जिलाधिकारी अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रमाण जेम्स फोन नं० 01372-252210  प्रभागीय जिलाधिकारी वन संरक्षण विभाग बौधदर (चमोली)		 प्रतिहस्ताक्षर जिलाधिकारी चमोली।  जिला अधिकारी चमोली	

28

Annexure- 2.4

Name of the Work- Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Phase-XIII

Comparison between identified alignments

Comparison between identified alignments							
Sl. No.	Variables	Alignment No-1		Alignment No-2			
		Mountainous		Mountainous			
1	Topography	16.725		17.825			
2	Length of Road	Nil		Nil			
3	Bridging requirement No. and Length						
4	Geometric			1:20			
	(a) Gradients	1:20		10 numbers of H.P. Bends			
	(b) Curves, H.P Bends	06 numbers of H.P. Bends		By Jeep upto 1.00 km and mule path for remaining length			
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	By Jeep upto 1.00 km and mule path for remaining length		By Jeep upto 1.00 km and mule path for remaining length			
6	Right of way, bringing out construction on account of built up areas, monuments and other structures.	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments or other important structures along this alignment		Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments or other important structures along this alignment			
7	(a) Terrain & Soil Condition.	The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Rock and Hard Rock.		The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Rock and Hard Rock.			
	(i) Cliffs and gorges.	(i) None		(i) None			
	(ii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding .	(ii) The natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding		(ii) The natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding.			
	(iii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends.	(iii) The General elevation of the road is 1400 m. The elevation at the starting point of the road is 1160 m and the elevation at the end point of the road is 1650 m. Thus the road achieves a height of 490 m.		(iii) The General elevation of the road is 1400 m. The elevation at the starting point of the road is 1160 m and the elevation at the end point of the road is 1650 m. Thus the road achieves a height of 490 m.			
	(iv) Variations extant and types.	48 / 100 (Attached after comprative)		48 / 100 (Attached after comprative)			
8	Climate Condition:						
	(a) Temperature Monthly max. & min. reading.		(a) Temperature Monthly max. & min. reading (Avg. data of 12 years)		(a) Temperature Monthly max. & min. reading (Avg. data of 12 years)		

सहायक आ. यिन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
बी.एम.जी. रोड, रावदाई
अपसण्ड-कान्हापुरा

Executive Engineer
Rural Engineering Service Deptt.
(P.M.G.S.Y.)
Division Karanprayag

Sl. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
		(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution
	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .	Month	Average Rainfall Data (in mm)
		January	74
		Feb.	76
		March	77
		April	36
		May	48
		June	140
		July	322
		August	271
		September	150
		October	66
		November	12
		December	33
	(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .	(c) Snowfall occurs in the month of December and January upto 15 cm in depth on an average.	
		(d) Owing to the nature of terrain local affect are pronounced and when the general prevailing winds not too strong to mask these effect, there is a tendency for diurnal reversal of winds, the flow being anabatic during the day and katabatic at night, the latter being of considerable force.	
		(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.	
		(f) The site is exposed to sun throughout the year.	
		(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
9	Facilities resources.	(a) None	
		(b) None	
		(c) Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo etc.	
		(d) Local labour is available for construction work.	
		(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.	
	(d) Wind direction and velocities.	(d) Owing to the nature of terrain local affect are pronounced and when the general prevailing winds not too strong to mask these effect, there is a tendency for diurnal reversal of winds, the flow being anabatic during the day and katabatic at night, the latter being of considerable force.	
		(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.	
		(f) The site is exposed to sun throughout the year.	
		(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(h) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
	(e) Fog Condition.	(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.	
		(f) The site is exposed to sun throughout the year.	
		(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(h) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(i) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
	(f) Exposure to sun.	(f) The site is exposed to sun throughout the year.	
		(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(h) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(i) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(j) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
	(g) Unusual weather condition like cloud burst etc.	(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(h) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(i) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(j) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
		(k) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	

TH
01/12

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पीएमजीएफ रुवाही
अपखण्ड-कपिलप्रयाग

Executive Engineer
Rural Engineering Service Deptt.
(P.M.G.S.Y.)
Divison Karanprayag

30

Sl. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
	(e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(e) Stone required for the construction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting. However, sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry with a distance of 30 km.	(e) Stone required for the construction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting. However, sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry with a distance of 30 km.
10	Value of land, agricultural land, irrigated land, built up land, forest land etc,	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- - Private land, 3.290 hectare @ Rs. 9,00,000= Rs. 29,61,000.00 - Forest Land, 3.919 hectare @ Rs. 9,35,000= Rs. 36,64,265.00 Thus total value of land = Rs. 66,25,265.00	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- - Private land, 3.640 hectare @ Rs. 9,00,000= Rs. 32,76,000.00 - Forest Land, 4.340 hectare @ Rs. 9,35,000= Rs. 40,57,900.00 Thus total value of land = Rs. 73,33,900.00
11	Approximate Const. Cost.	Rs. 1003.00 lacs	Rs. 1158.00 lacs
12	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Access point available for induction of equipment	Access point available for induction of equipment
13	Period required for construction.	18 months	18 months
14	Strategic Consideration.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment / machinery shall be made for completion of the project.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment / machinery shall be made for completion of the project.
15	Important villages, towns and markets centers to be connected.	The road shall provide connectivity to Village-Jyuda with a population of 289 numbers, Village- Maroda with a population of 331 numbers, Village-Dangtoli with a population of 383 numbers and village-Saned with a population of 258 numbers.	The road shall provide connectivity to Village-Jyuda with a population of 289 numbers, Village- Maroda with a population of 331 numbers, Village-Dangtoli with a population of 383 numbers and village-Saned with a population of 258 numbers.
16	Recreational potential.	Nil	Nil
17	Economic Factors:		
	(a) Population served by the alignment.	(a) 1681 numbers	(a) 1681 numbers
	(b) Agricultures and economic potential of the area.	(b) Transportation of the cultivated crops by mechanical means (i.e.. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.	(b) Transportation of the cultivated crops by mechanical means (i.e.. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	None	None

[Signature]

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभिवृत्तन सेवा विभाग
बी०एम०जी०ए० रोडवाई०
वृषखण्ड-बारा प्रयाग

Executive Engineer
Rural Engineering Service Deptt.
(P.M.G.S.Y.)
Division Karanprayag

31

Sl. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
19	(i) Misc. Such as camping sites	(i) Camping sites to be located along the alignment of the road.	(i) Camping sites to be located along the alignment of the road.
	(ii) Law and other problem	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.
	(iii) Royalty	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	(iv) Available	(iv) Available
	(v) Working period available for construction of work.	(v) 09 months in a year	(v) 09 months in a year
20	Total No. of trees to be removed .	400 numbers	Approximately 525 numbers.
21	Average Density of forest cover .	0.2 (Dense Forest)	0.2 (Dense Forest)
22	Total No. of Merits	16	12
23	Total No. of Demerits	05	09

Note- Colour filled Cell is the de-merit of the alignment whereas no fill is the merit of the alignment
RECOMMENDATIONS:

Alignment no. -1 is Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

[Signature]
 कनिष्ठ अभियन्ता
 प्रादेशिक अभियन्तृ सेवा विभाग
 पी.एम.जी.एस.वाई
 प्रखण्ड कार्यालय

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्तृ सेवा विभाग
 पी.एम.जी.एस.वाई
 उपखण्ड कार्यालय

D.F.O.

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 प्रादेशिक अभियन्तृ सेवा विभाग
 पी.एम.जी.एस.वाई
 प्रखण्ड कार्यालय

32

VARIATION EXTENT AND TYPES

Name of Habitation(s) : Dangtoli, Devpuri, Niladi, Saned, Jyuda and Maroda
 Name of the Road : Meeng Gadera to Dangtoli
 Length of the Road : 16.725 km

Sl. No.	Variable of the Habitation	Weightage of the Variable	Variable	Value Obtained	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Population	8	1681	8	
2	SC / ST Population	8	77	4	
3	Primary School	4	Yes	4	
4	Middle School	6	Yes	6	
5	High School	8	No	0	
6	Intermediate School	8	No	0	
7	Vocational School	8	No	0	
8	Dispensary	4	No	0	
9	Maternity & Child Welfare Centres	6	Yes	6	
10	Primary Health Centre & Veterinary	8	No	0	
11	Police Station	6	No	0	Revenue Police Area
12	Post Office	4	Yes	4	
13	Electrified	6	Yes	6	
14	Panchayat Head Office	6	Yes	6	
15	No. of Market Held	6	No	0	
16	Hilly Area	4	Yes	4	
Total		100		48	

[Handwritten signature]

सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
 पी० एच० जी० एस० वाई०
 उपखण्ड-कर्णप्रयाग

[Handwritten signature]
 प्राधशासी अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
 समपित पी.एम.जी.एस. वाई
 प्रखण्ड कर्णप्रयाग

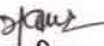
33

17

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.- 13 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डोंगतोली ~~मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न. 13 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डोंगतोली ~~मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित 3.919 हे० वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मोटर मार्ग निर्माण के प्रयोग में ली गई है तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में नहीं ली जायेगी।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

पी० एम० जी० एल० बाई०
उप-जिलाधिकारी


प्रादेशिक अभियन्ता
ग्रामीण विकास विभाग
समर्पित पी० एम० जी० एस बाई

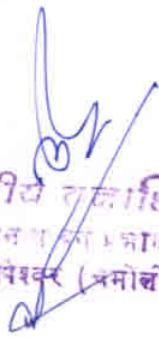
प्रमुख कार्यपालक

ए० बी०
पटवारी

क्षेत्र
चमोली

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी


प्रभागीय जिलाधिकारी

बद्राज गंगा प्रभाग
बोपेश्वर (चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली


वनक्षेत्राधिकारी
असई सिमला रोजे
नारायणबागड़


तहसीलदार

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.-12 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डांगतोली ~~पथ~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.12 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डांगतोली ~~पथ~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.919 हे० वन भूमि की माँग न्यूनतम है। इससे कम भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण होना सम्भव नहीं है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता

ग्रामीण अधिशाली अभियन्ता

प्रमुख कर्णप्रदायक

पटवारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

जिला अभियन्ता

वनक्षेत्राधिकारी

उप वनी संरक्षक अधिकारी

अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन

प्रभाग गोपेश्वर

फोन नं० 01372-252210

उप जिलाधिकारी

प्रभाजीय वन अधिकारी

बदनाथ वन - भाग

गोपेश्वर (चमोली)

तहसीलदार

35

A-2.6

प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल

18

(वन विभाग)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींगगदेरा-डांगतोली ~~सड़क~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव । (आरक्षित भूमि)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है०
चमोली	बदीनाथ वन प्रभाग	शून्य	—	—	—

वनक्षेत्राधिकारी
वनक्षेत्राधिकारी
नारायणगढ़

प्रभागीय अधिकारी
वन विभाग
भारत सरकार (भारत)

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन
प्रभाग प्रमुख
फोन नं० 01372-252210

लैण्ड शैड्यूल (सिविल) एवं वन पंचायत भूमि

वन पंचायत एवं सिविल भूमि का लैण्डशैड्यूल के लिये (राजस्व विभाग) जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बरानों की संख्या	कुल रक्बा (है०)	याचित क्षेत्र है०
चमोली	थराली	डांगतोली	11	1.792 (सिविल भूमि)	3.919
		भिरतोली	7	1.347 (वन पंचायत भूमि)	
		निलाडी	11	0.180 (सिविल भूमि)	
		ज्यूडा	1	0.392 (सिविल भूमि)	
		सनेड	4	0.208 (सिविल भूमि)	
		योग	34	3.919	3.919 (वन भूमि)

चमोली थराली (ग्राम-डांगतोली, निलाडी, ज्यूडा, सनेड)

43

3.290
3.209

3.290 (नाप भूमि)

ए० वी० सिद्धी
जपटवारी
क्षेत्र
चमोली

तहसीलदार
थराली

उपजिलाधिकारी
थराली

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

जिला अधिकारी
चमोली

69

36

खसरे की नकल (सिविल)

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली ~~सड़क~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत कुल 3.919 है० भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम:-डांगतोली

पटवारी-गढ़कोट

तहसील:-थराली

जिला:- चमोली।

क्र०सं०	खाता न०	नाम भूमिधर	खसरा न०	लिया गया रक्बा है०	किस्म भूमि
1	17	उत्तराखण्ड सरकार	46 म०	0.400	चारागाह
2	17	उत्तराखण्ड सरकार	42 म०	0.040	चारागाह
3	11	उत्तराखण्ड सरकार	50 म०	1.050	चारागाह
4	17	उत्तराखण्ड सरकार	413 म०	0.090	भीटा
5	10	उत्तराखण्ड सरकार	415 म०	0.018	झाड़ी
6	10	उत्तराखण्ड सरकार	477 म०	0.018	झाड़ी
7	12	उत्तराखण्ड सरकार	663 म०	0.030	बंजर
8	17	उत्तराखण्ड सरकार	508 म०	0.030	जंगल
9	11	उत्तराखण्ड सरकार	526 म०	0.055	गौचर
10	17	उत्तराखण्ड सरकार	529 म०	0.035	चारागाह
11	17	उत्तराखण्ड सरकार	536 म०	0.026	चारागाह
योग:-				1.792	

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण आवास योजना
प्रमोद जी० ए०० बाई०
उपखण्ड-वर्गदारा

अधिसारी अभियन्ता
ग्रामीण आवास योजना सेवा विभाग
समाविष्ट श्री एम.जी.एस.बाई
प्रमोद जी० ए०० बाई०

पटवारी

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

37

70

खसरे की नकल (वन पंचायत)

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली ~~बुध~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत कुल 3.919 हे भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम:- भिरतोली

पटवारी:- गढ़कोट

तहसील:- थराली

जिला:- चमोली।

क्र०सं०	खाता न०	नाम भूमिधर	खसरा न०	लिया गया रक्वा है०	किस्म भूमि
1	10	उत्तराखण्ड सरकार	520 म०	0.500	गौचर
2	17	उत्तराखण्ड सरकार	221 म०	0.610	गौचर
3	17	उत्तराखण्ड सरकार	397 म०	0.100	गौचर
4	11	उत्तराखण्ड सरकार	201 म०	0.060	रास्ता
5	12	उत्तराखण्ड सरकार	269 म०	0.020	झाड़ी
6	07	उत्तराखण्ड सरकार	224 म०	0.022	रास्ता
7	10	उत्तराखण्ड सरकार	940 म०	0.035	बंजर
योग:-				1.347	

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग
सहायक अभियन्ता
उपखण्ड-कार्णिक

अधिसाक्षी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग
अधिसाक्षी अभियन्ता
उपखण्ड-कार्णिक

ए० सी० सिद्धिती
जम्हू लाम्नी
पटवारी
क्षेत्र.....
तहसील.....
चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

खसरे की नकल (सिविल)

38

37

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत कुल 3.919 है० भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम:- निलाड़ी

पटवारी क्षेत्र:- गढ़कोट

तहसील:- थराली

जिला:- चमोली।

क०सं०	खाता न०	नाम भूमिधर	खसरा न०	लिया गया रक्बा है०	किस्म भूमि
1	17	उत्तराखण्ड सरकार	14 म०	0.010	बंजर
2	17	उत्तराखण्ड सरकार	15 म०	0.015	भीटा
3	17	उत्तराखण्ड सरकार	357 म०	0.010	रोली
4	17	उत्तराखण्ड सरकार	385 म०	0.020	बंजर
5	10	उत्तराखण्ड सरकार	288 म०	0.025	गौचर
6	11	उत्तराखण्ड सरकार	395 म०	0.015	झाड़ी
7	11	उत्तराखण्ड सरकार	428 म०	0.020	चारागाह
8	10	उत्तराखण्ड सरकार	1303 म०	0.020	बंजर
9	17	उत्तराखण्ड सरकार	1419 म०	0.020	भीटा
10	11	उत्तराखण्ड सरकार	1420 म०	0.015	बंजर
11	11	उत्तराखण्ड सरकार	1421 म०	0.010	गौचर
योग:-				0.180	

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण सहायक अभियन्ता

उपमंडल कार्यालय

उपमंडल कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता

सामंति सी. एन. जी. एस. राई

उपमंडल कार्यालय

पटवारी

पटवारी

चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

(39)

72

खसरे की नकल सिविलपरियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत कुल 3.919 है० भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

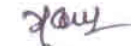
ग्राम:- ज्यूड़ा

पटवारी क्षेत्र:- गढ़कोट

तहसील:- थराली

जिला:- चमोली।

क्र०सं०	खाता न०	नाम भूमिधर	खसरा न०	लिया गया रक्बा है०	किस्म भूमि
1	09	उत्तराखण्ड सरकार	1107 म०	0.392	जंगल
योग:-				0.392	


अनोन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
पि० एम० जी० एस० वाई०
उत्तराखण्ड-कर्मप्रकाश


प्रशान्त अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग
समवेत पी.एच.डी.एस. वाई
प्रखण्ड कर्मप्रकाश


पटवारी
क्षेत्र.....
तहसील.....
चमोली


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी

खसरे की नकल (सिविल)

40

73

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत कुल 3.919 है० भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम:- ~~रामेडा~~

पटवारी क्षेत्र:- गढ़कोट

तहसील:- थराली

जिला:- चमोली।

क्र०सं०	खाता न०	नाम भूमिधर	खसरा न०	लिया गया रक्बा है०	किस्म भूमि
1	07	उत्तराखण्ड सरकार	1419 म०	0.080	बंजर
2	07	उत्तराखण्ड सरकार	1416 म०	0.050	भीटा
3	07	उत्तराखण्ड सरकार	1420 म०	0.050	चारागाह
4	12	उत्तराखण्ड सरकार	151 म०	0.028	जंगल
योग:-				0.208	

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
जी० एम० डी० एस० बार्ड
उपखण्ड-कर्मचारी

अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
जी० एम० डी० एस० बार्ड
उपखण्ड-कर्मचारी

पटवारी

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

(51)

~~11~~परियोजना की लम्बाई चौड़ाईकार्य का नाम -

जनपद चमोली में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत मींगगदेरा-डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण की लम्बाई चौड़ाई निम्नानुसार है।

क्र०सं०	वनभूमि	लम्बाई (मी० में)	लम्बाई (मी० में)	क्षेत्रफल (है०)	कुल है०
1	सिविल भूमि	3675	7.00	2.572	3.919 (वन भूमि)
2	वनपंचायत भूमि	1925	7.00	1.347	
3.	ताप भूमि	4700	7.00	3.290	3.290 (ताप भूमि)

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण आवासन एवं सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०आई०
उत्तरांचल कर्मप्रयोग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण आवासन एवं सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०आई०
उत्तरांचल कर्मप्रयोग

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण आवासन एवं सेवा विभाग
समर्पित पी०एम०जी०एस०आई०
उत्तरांचल कर्मप्रयोग

52

52



52

52

52

52

52

52

52

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्ग पर पूर्व में प्रदत्त की गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

मींग गदेरा से डांगतोली मोटर मार्ग पर 1.00 किमी० हेतु (किमी० 0.00 से 1.00 तक) विधिवत स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०६/११/२०११/एफ०सी०/५०६, दिनांक 11.05.2011 के द्वारा (जनपद चमोली के अन्तर्गत मींग गदेरा-निलाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.600 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण)

एवं

5.425 किमी० (किमी० 11.300 से 16.725 तक) मार्ग की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/०६/१६९/२००९/एफ०सी०/१०३३, दिनांक-04.12.2012 के द्वारा (जनपद चमोली में मींग गढकोट मार्ग का करच्यूडा तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.730 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण) निर्गत की जा चुकी है।

इस प्रकार मींग गदेरा से डांगतोली मोटर मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 16.725 किमी० है, में से 6.425 किमी० की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रदत्त की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति खण्ड-खण्ड में ही दी जाती है। वर्तमान में सम्पूर्ण मार्ग (मींग गदेरा से डांगतोली -16.725 किमी०) पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत स्वीकृत है। जो कि केन्द्र पोषित योजना है, तथा भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, पूर्ण मार्ग निर्माण हेतु एकमुश्त प्रदान की जाती है। पूर्ण मार्ग की लम्बाई निर्माण हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत इसलिए स्वीकृत है क्योंकि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सैक्टर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 6.425 किमी० लम्बाई में मात्र पहाड़ कटान का कार्य ही किया गया है, तथा शेष कार्य जैसे कि दीवार, क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चर आदि का निर्माण किया जाना शेष है।

इस मार्ग से जुड़ने वाले बसावटें ग्राम डांगतोली, ग्राम देवपुरी, ग्राम निलाडी, ग्राम सनेड, ग्राम ज्यूडा एवं ग्राम मरोडा है। पूर्व में निर्गत भारत सरकार की स्वीकृतियों के अनुसार उक्त बसावटों में से ग्राम डांगतोली एवं ग्राम मरोडा को मार्ग सुविधा प्राप्त होती है। शेष ग्राम देवपुरी, निलाडी, सनेड एवं ज्यूडा मार्ग से असंयोजित रह जाते हैं। वर्तमान में मार्ग का जो समरेखण प्रस्तावित है, वह ग्राम मींग गदेरा से डांगतोली होते हुये ग्राम निलाडी, देवपुरी, सनेड होते हुये ग्राम ज्यूडा पर समाप्त हो जाता है। ग्राम डांगतोली एवं ग्राम मरोडा तक पहुचने हेतु मार्ग का संरेखण पूर्व में निर्गत स्वीकृतियों के अनुसार ही है। अतः पूर्व में निर्गत स्वीकृतियों के अनुसार संयोजित हो रहे ग्रामों हेतु, कोई अतिरिक्त अन्यत्र किसी समरेखण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है।

चूँकि लक्षित डांगतोली, ग्राम देवपुरी, ग्राम निलाडी, ग्राम सनेड, ग्राम ज्यूडा एवं ग्राम मरोडा अन्तिम बसावट है, अतः भविष्य में मोटर मार्ग के विस्तारीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी० एम० जी० एस० वाई०
उपखण्ड-कर्णप्रयाग


आयुक्त अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समपित पी.एम.जी.एस.वाई
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

27 JULY 2011

44

संख्या:-जी0आई0:- 2563 / 7-1-2011-600(3472) / 2010.

सेवाक

श्री राजेन्द्र कुमार,
अमर साक्षि,
प्रस्तावना शाखा।

पंचायत वन सरकाक
गडवाल वन
प्राप्ति सं
फाइल सं
दिनांक...

सेवा में

अमर प्रमुख वन सरकाक एवं जोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्डियानागर मोरिफ्ट कालोनी,
प्रस्तावना शाखा, देवशहर।

वन एवं सहायक विभाग

देहरादून : दिनांक 11 जुलाई, 2011.

विषय:- जलपद-चमोली के अन्तर्गत भोग गधेरा-निलाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.600 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषयक आपके वन संख्या 3008/1जी-2936 (चमोली) दिनांक 02-06-2011 के सम्बन्ध में पुनः भवन करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जलपद-चमोली के अन्तर्गत भोग गधेरा-निलाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.600 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भाग्य संख्या सं. प्रयावर्ण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एबी/यू.डी.पी./08/11/2011/एम.सी./608 दिनांक 11-06-2011 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की सर्वेक्षण वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनके सन्निहित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचावें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचाती है, तो उससे लिए सम्बन्धित प्रशासनिक वनाधिकारी द्वारा राखर निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो स्थापित उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी को लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये प्लानेट पर प्रवेश करने व उक्त निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी को वन वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृक्षों के वन होने अर्थात् 1240 वृक्षों का वृक्षाशेष एवं मौसम वनों तक रख-रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी को वन वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर स्थित पड़े स्थानों पर मशौचि वृक्षाशेष एवं मौसम वनों तक उक्त रख-रखाव किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रयोजन कार्य ब्रह्म की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के वृक्षाशेषों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं संपूर्ण रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की जनसमिति एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

45

संख्या:-जी0आई0-2675/7-1-2013-600(3080)/2009

02/02/2013

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

श्रीमानों,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 01/02/2013.

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत मींग-गढ़कोट मोटर मार्ग का करच्यूडा तक के निर्माण हेतु 8.730 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

सम्बन्धित विषयक आम्के पत्र संख्या: 1581/1जी-2540 (चमोली) दिनांक 05-01-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली के अन्तर्गत मींग-गढ़कोट मोटर मार्ग का करच्यूडा तक के निर्माण हेतु 8.730 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी. /06/189/2009/एफ.सी./1033 दिनांक 04-12-2012 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा संयोजित एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम, हंसकोटी, तहसील-धराली, जिला-चमोली में 17.460 हे० अवन्त सिविल एवं शोथम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के तर्जुमशी सिद्धान्तों 3.2(1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
3. वन विभाग के मक्ष में स्पुडेशन की गई उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सन्धोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/वर्तचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रशासी वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो सन्धोस्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर सन्धोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की जनसंख्या एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/मलबे काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षों का मातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही मातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एनओवीओ, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण, एवं मार्ग के दोनों ओर शिवन स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जाना की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्वतंत्र एवं गति तदर्थ क्षतिपूर्क वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
19. प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर बाउन्ड्री मीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा, जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं मीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक मीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी तथा प्रभागीय स्तर पर वन भूमि प्रत्यावर्तन के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा। इसकी सूचना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, वन्यजन्तु तथा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी के समय पर सक्रिय जिल्लोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलबे का निस्तारण विनिर्दिष्ट स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलबे को किसी भी दशा में महाओं के डेलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी ग्राम सभाओं को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार के सभी दावों का निस्तारण हो चुका है एवं ग्राम सभा वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर सहमत है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। प्रपत्र सूचना 15 दिन के अन्दर नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी, उसके पश्चात् ही वन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2. उपर्युक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-104/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा० वि० दि०-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/वस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रस्ताव अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

प्रमाणित/प्र०स०

दिनांक 9/07/2011 भवदीय,

प्रमाणित

प्रमाणित अभिलेखी वन भूमि निर्माण (राजेन्द्र कुमार) अपर सचिव।
निर्माण भवदीय की इस निर्देश के मध्य
निर्माणित किया जाया है। कि प्रस्तावित
जनसंख्या पर प्रभावित होने वाले वृक्षों
के मातन हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही करना
सम्बन्धित करे

संख्या:-जी०आई०-2575/7-1-2013-600(3080)/2009 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-



1. अमर प्रमुख वन संरक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय भवन, संकट-एच, मंसम लाल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. हालांखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियंता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल इलाका, मौड़ी।
6. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, सोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धराली।

Handwritten signatures and dates, including 13/2 and 14/2/13.

अज्ञात से
(राजेश कुमार)
अपर सचिव।

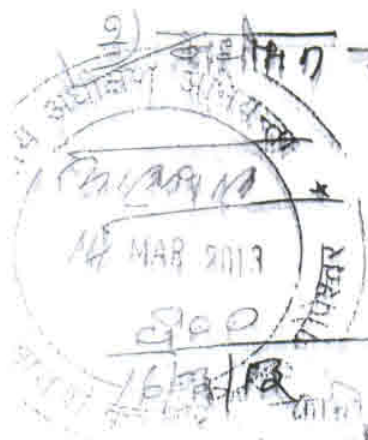
मुख्य अभियंता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पुंर- 37 / अधिवक्ता सं 13

दि- 16/02/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सीमाकर्ता, लो. नि. वि. (म. नि.) मौड़ी



2. जिलाधिकारी, लो. नि. वि. न के हका जेपेश्वर

पुंर- 37 - 2009/2013

प्रतिलिपि, अधि. व. कामें. वि. 16/2/13
मिराजी को उपस्थितता के लिए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/03/13

Handwritten signatures and dates, including 16/3/13 and 23/3/13.

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मींग गधेरा-डांगतोली, ~~जुम्ला~~
~~मोटर मार्ग~~ निर्माण हेतु 2.572 है0 सिविल भूमि तथा 1.347 है0 वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है0 का
 ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस0एस0पी0)

क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल		7.8380	है0	सिगिल
क्र0	रोपित प्रजातियां	संख्या		
1	बांज	7000 ✓		
2	अंगू	3000 ✓		
3	भीमल	3000 ✓		
	कचनार	2676 ✓		
	योग	15676 ✓		

प्रथम वर्ष

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई वर प्रति रु।	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे व सीमांकन	7.8380 ✓	है0	78.00 ✓	611.36 ✓
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	7.8380 ✓	है0	2543.00 ✓	19932.03 ✓
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	7.8380 ✓	है0	15309.00 ✓	119991.94 ✓
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान	L.S ✓	खाल	4800.00 ✓	4800.00 ✓
5	गड्ढो का खुदान 0.30x0.30x0.45cum <i>देखाने सहित</i>	15676 ✓	प्र0मी0	5.42 ✓	84963.92 ✓
6	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है0 50र0मी0 लम्बी व 0.60मी0 चौड़ी) <i>X 7.838 है0</i>	235.140 ✓	वर्ग मी0	12.00 ✓	2821.68 ✓
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	15676 ✓	प्र0 स0	4.30 ✓	67406.80 ✓
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंत्र औजार तैज करना	7.8380 ✓	है0	264.00 ✓ <i>624.00</i>	2069.23 ✓ <i>4890.91</i>
9	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्या हेतु धनराशि का प्राविधान)	7.8380 ✓	है0	6240.00 ✓	48909.12 ✓

प्रथम वर्ष का योग

354,327.76
~~351506.09~~

द्वितीय वर्ष

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	15676 ✓	सं0	0.97 ✓	15205.72 ✓
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	15676 ✓	सं0	1.20 ✓	18811.20 ✓
3	पौध दुलान कार्य	15676 ✓	सं0	6.00 ✓	94056.00 ✓
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	15676 ✓	सं0	1.89 ✓	29627.64 ✓
5	निराई गुड़ाई करना प्रथम बार	15676 ✓	सं0	1.29 ✓	20222.04 ✓

1,77,922.60

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3	4	5	6
6	निराई गुडाई करना मय मलचिंग कार्य द्वितीय बार	15676 ✓	रॉ०	1.11 ✓	17400.36 ✓
7	खाद व दवा पर व्यय	7.8380 ✓	रॉ०	0.00 ✓	0.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रख रखाव पर व्यय (वाचर 1अग० से अगले वर्ष 28फरवरी तक 7 माह)	7.8380 ✓	प्रॉ०/माह	468.00 / month ✓	25677.29 ✓
9	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/काला बांसा)	7.8380 ✓	रॉ०	1287.00/ Hec ✓	10087.51 ✓
	9.2 सुरक्षा दिवाल घेरवाड के बाहर 4 मी की पट्टी साफ करना 150 र०मी०/है०			0.00	0.00
	9.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना । अ- प्रशिक्षण	L.S			0.00
	ब- प्रोत्साहन	L.S			0.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी सुतली , बोरी आदि कय , वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट कय करना व वर्ष में दो तीन बार फोटो ग्राफी फिल्ड स्थरीय कार्यो को प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य ।	7.8380 रॉ० ✓		780.00 ✓	6113.64 ✓
10	अन्य कार्य				
कुलयोग द्वितीय वर्ष					237201.40 ✓ 237201.39
तृतीय वर्ष					
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	7.8380 ✓	रॉ०	468.00 ✓	44018.21 ✓
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/कालाबांसा)	7.8380 रॉ० ✓		0.00 ✓	0.00
	2.2 सुरक्षा दिवाल घेरवाड के बाहर 4 मी की पट्टी साँफ करना	11.7570 ✓	किमी०	0.00	0.00
					44018.21 ✓

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3	4	5	6
2	2.3 बृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना । अ- प्रशिक्षण	L.S		0.00	0.00
	ब- प्रोत्साहन	L.S		0	0.00
	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	1568	स० / पौध	5.50	8624.00
	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण करना	1568	स० / पौध	3.20	5016.32
	पौधों का दुलान कार्य करना	1568	स० / पौध	6.00	9405.60
3	गड्ढों में रसायन खाद	1568	स० / पौध	0.00	0.00
	गड्ढों में गोबर खाद डालना मय दुलान सहित	15676	%	133.00	20849.08
	शीतकाल में मलचिग सहित कार्य	15676	%	111.00	17400.36
तृतीय वर्ष का योग					105311.37
चतुर्थ वर्ष					105317.25
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.8380	रु०	468.00	44018.21
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	7.8380	रु०	310.00	2429.78
चतुर्थ वर्ष का योग :-					46447.99
पंचम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.8380	रु०	468.00	44018.21
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	7.8380	रु०	310.00	2429.78
पंचम वर्ष का योग :-					46447.99
छटा वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.8380	रु०	468.00	44018.21
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	7.8380	रु०	310.00	2429.78
छटा वर्ष का योग :-					46447.99
सातवां वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.8380	रु०	468.00	44018.21
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	7.8380	रु०	310.00	2429.78
सातवां वर्ष का योग :-					46447.99
आठवां वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.8380	रु०	468.00	44018.21
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	7.8380	रु०	310.00	2429.78

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु॥	व्यय
1	2	3	4	5
आठवां वर्ष का योग :-				46447.99
नोवा वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.8380	है०	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	7.8380	है०	310.00
नोवा वर्ष का योग :-				46447.99
दसवां वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.8380	है०	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	7.8380	है०	310.00
दसवां वर्ष का योग :-				46447.99
5--कुल व्यय सांरास रूपयें में				
क्र०	वर्ष का नाम	7.8380	है० वनीकरण पर कुल व्यय	
1	प्रथम वर्ष			354327.76
2	द्वितीय वर्ष			237,201.40
3	तृतीय वर्ष			105,317.25
4	चतुर्थ वर्ष			46447.99
5	पंचम वर्ष			46447.99
6	छटा वर्ष			46447.99
7	सातवां वर्ष			46447.99
8	आठवां वर्ष			46447.99
9	नोवां वर्ष			46447.99
10	दसवां वर्ष			46447.99
कुल व्यय रूपये				10,21,982.34
सिलिंग के अनुसार देय दर @ 130000.00 रु०/है०		7.8380	Hac	1018940.00

रुपये 10,18,900/- मात्र

हेतु जांच किया।

वन क्षेत्राधिकारी
अरुण-सिपली रेंज
नारायण

मानचित्रकार
अलकनन्दा भूमि संरक्षण
वन प्रभाग-गोपेश्वर (चमोली)

रुपये दस लाख आठह
हजार मात्र है। मात्र

प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
प्रभाग गोपेश्वर
फोन नं० 01372-252210

प्रभाग गोपेश्वर
प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण - पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नं.- 13 के अन्तर्गत भिंगगदेरा-डांगतोली ~~सड़क~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.57 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.917 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नं. 13 के अन्तर्गत भिंगगदेरा-डांगतोली ~~सड़क~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित स्थल सिविल सोयम भूमि ग्राम सनेड व ज्यूडा उपयुक्त है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता

अधिसारी अभियन्ता
अधिसारी अभियन्ता
अधिसारी अभियन्ता
अधिसारी अभियन्ता

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
असेट सिमल
नारायण

प्रमाणित करार
प्रमाणित करार
प्रमाणित करार
प्रमाणित करार

पटवारी
पटवारी
पटवारी
पटवारी

तहसीलदार
तहसीलदार
तहसीलदार
तहसीलदार

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

प्रभागीय जिलाधिकारी

बद्रनाथ बाग प्रभाग
बोपेश्वर (चमोली)

जिला अधिकारी
जिला अधिकारी
जिला अधिकारी
जिला अधिकारी

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 16.08.2013 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गधेरा ढागतोली ~~मोटरमार्ग~~ की प्रशासनिक/ ~~वित्तीय~~ स्वीकृति पत्रांक संख्या-1760/ पी0 03-14 /यू0आर0आर0डी0ए0/09 दिनांक 14 दिसम्बर 2009 वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड सरकार के स्वीकृति पत्रांक ~~1207/पी 3-14/यू0आर0आर0डी0ए0/09 दिनांक 06.10.2009~~ के द्वारा दी गई है, जिसके निर्माण में प्रस्तावित सिविल/वनपंचायत भूमि 3.919 है0 प्रस्तावित है, वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित हेतु क्षेत्रफल 7.838 है0, सिविल सोयम भूमि ग्राम सनेड़ व ग्राम ज्यूडा पटवारी वृत्त गढकोट तहसील थराली जिला चमोली में प्रस्तावित है।

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं वन पर्यावरण अनु0-03 के पत्रांक 883 (i)/x-3-2011-8(21)/2010 दिनांक 04.10.2011 एवं शासनादेश संख्या-2882/ दिनांक 11.11.2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल भूमि 7.838 है0 का परीक्षण पटवारी/राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 16.08.2013 को तहसील स्तरीय कमेटी के द्वारा किया गया प्रस्तावित क्षेत्र फल खसरा नं0-149 मं0 1736 है0 खसरा नं0-1107 मं0 3.878 खसरा नं0-1422 मं0 2.236 है0 कुल 7.838 है0 भूमि राज्य सरकार की सिविल भूमि है, जो श्रेणी 9 (3) ड में खाता संख्या-10-12... में दर्ज कागजात है। जिसमें मौके पर ईमारती लकड़ी एवं पेड़ स्थित नहीं है, तथा वन स्वरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त खसरानों मध्ये 7.838 है0 भूमि ग्राम सनेड़ व ज्यूडा सिविल भूमि को वन विभाग के हक में किये जाने की संस्तुति की जाती है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण आवास-वन संयोजन विभाग
(पी0एफ0ए0ए0ए0ए0ए0)
प्रखण्ड कर्णप्रदाय

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण आवास-वन संयोजन विभाग
पी0 एफ0 ए0 ए0 ए0 ए0
उपखण्ड कर्णप्रदाय

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण आवास-वन संयोजन विभाग
समन्वित पी0एफ0ए0ए0ए0ए0
प्रखण्ड कर्णप्रदाय

वन दरोगा

वनक्षेत्राधिकारी
असेड सिविल
ग्राह्यविभाग

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
असकनवा भूमि संयोजन वन
प्रभाग गढ़वाल
फोन नं0 01372-262210

ए0 वी0 सिविली
गजम्ब उपनिवेश
क्षेत्र 4 वरार
तहसील चमोली

तहसीलदार
थराली

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
बदनाथपुर प्रभाग
गोधरवर (चमोली)

उपजिलाधिकारी
थराली

जिला अधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी

पटवारी गढकोट

परियोजना का नाम: - जनपद चमोली में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत मींगगदेरा-डांगतोली ~~मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित सिविल भूमि का विवरण।

क्र०सं०	ग्राम का नाम/खेत नं०	खेत नं०	कुल रक्वा	चयनित क्षेत्रफल
1	सनेड़ (उत्तराखण्ड सरकार)	149	1.730	1.730 है०
2	सनेड़ (उत्तराखण्ड सरकार)	1422	2.230	2.230 है०
3	ज्यूडा (उत्तराखण्ड सरकार)	1107	4.735	3.878 है०
	योग:-	3	-	7.838 है०


कनिष्ठ अभियन्ता,


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण आवासन सेवा विभाग
सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
उपखण्ड-कर्णप्रवाग


अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण आवासन सेवा विभाग
अधिशाली अभियन्ता
समर्पित पी० एम० जी० एस० वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रवाग


ए० वी० सि०
जयन्त कनिष्ठ अधिकारी
पटवारी
क्षेत्र गढकोट
चमोली


तहसीलदार
गढकोट


उपजिलाधिकारी
गढकोट

54

A. 2. 11

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि को वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

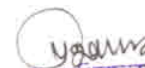
परियोजना का नाम:-

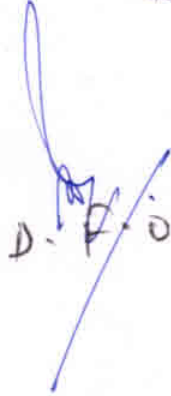
जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भीम गदेरा डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि 2.572 है० वन पंचायत भूमि 1.347 है० कुल वनभूमि 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण में आवश्यक धनराशि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वहन की जायेगी।


AAE
कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
(पी०एम०जी०एस०आई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०आई०
उत्तराखण्ड-कर्णप्रयाग


Yashwan
आध्यात्मिक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
समर्पित पी०एम०जी०एस०आई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग


D. F. O.

A-2.12

55

Attached 2.12.12

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत मींग गधेरा, डांगतोली, ~~बुडा-सुवे~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि तथा 1.347 है० वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मोटर मार्ग की कुल ल०

10.30 किमी

पथ बृक्षारोपण (मोटर मार्ग के दोनों ओर) हेतु दस वर्षीय (एस०एस०पी०)

प्रति किमी रोपित (मोटर मार्ग के दोनों ओर) पौधों की संख्या

100

बृक्ष

कुल रोपित (मोटर मार्ग के दोनों ओर) पौधों की संख्या

1030

पौध

क्र०	रोपित प्रजातियां	संख्या
1	पीपल	200 ✓
2	जामुन	150 ✓
3	अमलताश, जैकरण्डा, सिल्वरओक आदि शोभाकारी पौध	680 ✓
	योग	1030 ✓

प्रथम वर्ष

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3	4	5
1	गडढा का खुदान मय रेखकन चूना सहित (0.60x0.60x0.60)cum	1030 ✓ प्र० म०	11.58 ✓	11927.40 ✓
2	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	1030 ✓ प्र० र०	4.30 ✓	4429.00 ✓
3	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयन्त्र औजार तैज करना	L.S 1030 किमी०	200.00 ✓	2060.00 ✓
	प्रथम वर्ष का योग			18416.40 ✓

द्वितीय वर्ष

1	गडढा भरान कार्य (0.60x0.60x0.60) Cum	1030 ✓ सं०	1.73 ✓	1781.90 ✓
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	1030 ✓ सं०	1.20 ✓	1236.00 ✓
3	पौध दुलान कार्य	1030 ✓ सं०	6.00 ✓	6180.00 ✓
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	1030 ✓ सं०	1.89 ✓	1946.70 ✓
5	निराई गुडाई करना प्रथम बार	1030 ✓ सं०	1.29 ✓	1328.70 ✓
6	निराई गुडाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	1030 ✓ सं०	1.11 ✓	1143.30 ✓
7	प्रथम वर्ष में बृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1अग० से अगले वर्ष 28फरबरी तक 7 माह)	2 ✓ वाचर	4680.00 ✓	65520.00 ✓
8	पौधों की सुरक्षा हेतु आईरन ट्री गार्ड कय करना दुलान मय फिटिंग	1030 ✓ सं० ला०स०	1100.00 ✓	1133000.00 ✓
	कुलयोग द्वितीय वर्ष			1212136.60 ✓

कुल व्यय 12,30,553.00

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु०	
1	2	3	4	5

तृतीय वर्ष

1	रोपण वर्ष के बाद प्रथम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2 ✓	वाचर	4680 00	112320.00
2	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	103 ✓	सा / पौध	5.50	566.50
3	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण करना	103 ✓	%	3.20	3.30
4	पौध दुलान कार्य	103 ✓	सा / पौध	6.00	618.00
5	गडढों में गोबर खाद डालना मय दुलानसहित	1030 ✓	%	133.00	1369.80
6	शीतकाल में मलचिंग सहित कार्य	1030 ✓	%	111.00	1143.30
तृतीय वर्ष का योग					116021.00

चतुर्थ वर्ष

1	रोपण वर्ष बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2 ✓	वाचर	4680 00	112320.00
2	अन्य कार्य				
चतुर्थ वर्ष का योग :-					112320.00

पंचम वर्ष

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2 ✓	वाचर	4680 00	112320.00
2	अन्य कार्य				
पंचम वर्ष का योग :-					112320.00

छटा वर्ष

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2 ✓	वाचर	4680 00	112320.00
2	अन्य कार्य				
छटा वर्ष का योग :-					112320.00

सातवां वर्ष

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2 ✓	वाचर	4680 00	112320.00
2	अन्य कार्य				
सातवां वर्ष का योग :-					112320.00

आठवां वर्ष

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2 ✓	वाचर	4680 00	112320.00
2	अन्य कार्य				
आठवां वर्ष का योग :-					112320.00

BF 1908.174.4

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3	4	5
	नवां वर्ष			
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2	वाच/ 4680 00	112320.00
2	अन्य कार्य			112320.00
	नवें वर्ष का योग :-			
	दसवां वर्ष			
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2	वाच/ 4680 00	112320.00
2	अन्य कार्य			112320.00
	दसवें वर्ष का योग :-			
	कुल व्यय सांरास रुपये में			
क्र०	वर्ष का नाम	10.30	किमी रोड साईड वृक्षारोपण	
1	प्रथम वर्ष		18416.40	✓
2	द्वितीय वर्ष		1212136.60	✓
3	तृतीय वर्ष		116021.00	✓
4	चतुर्थ वर्ष		112320.00	✓
5	पंचम वर्ष		112320.00	✓
4	छटा वर्ष		112320.00	✓
5	सातवां वर्ष		112320.00	✓
5	आठवां वर्ष		112320.00	✓
4	नवां वर्ष		112320.00	✓
5	दसवां वर्ष		2132814.00	✓
	कुल व्यय रुपये			
	सिलिंग के अनुसार देय दर @ 200000.00 रु०/किमी०	10.30	Km.	2060000.00

(रुपये बीस लाख साठ हजार) मात्र

रुपय 20,60,000/- मात्र

हेतु जांच किया।

वन क्षेत्राधिकारी
अरुणचाली रेंज
नारायणगढ़

प्रभारी अधिकारी
अरुणचाली रेंज
वन प्रभाग-गोपेश्वर (धमोली)

प्रभोगीय वनाधिकारी
अरुणचाली रेंज
प्रभाग गोपेश्वर
फोन नं० 01372-250210

प्रभालीय वनाधिकारी
अरुणचाली रेंज
गोपेश्वर (धमोली)

मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़ें स्थानों पर वृक्षारोपण वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

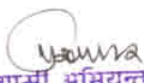
परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि 2.572 है० वन पंचायत भूमि 1.347 है० कुल वनभूमि 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण में मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों हेतु आवश्यक धनराशि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वहन की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
ग्राम्य विकास विभाग
(पी०एम०जी०एस०आई०)
उत्तराखण्ड-कर्मप्रयोग


सहायक अभियन्ता
ग्राम्य विकास विभाग
पी०एम०जी०एस०आई०
उत्तराखण्ड-कर्मप्रयोग


प्रादेशिक अभियन्ता
ग्राम्य विकास विभाग
समपित पी०एम०जी०एस०आई०
उत्तराखण्ड-कर्मप्रयोग

पेड़ों का सारांश

59

A-2.15

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गधेरा-डांगतोली, ~~बुद्ध~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.919 है० सिविल/वन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्र०सं०	भूमि का प्रकार	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1.	सूक्ष्म वृक्ष / छोटा वृक्ष	चीड़	Pinus Roxburghii Sargent 48		135	96	23	25	18	16	13	19	1	394
2.		काफल	Myrica esculenta Buch-Ham ex D. Don		-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.		खड़ीक	Celtis eriocalpa Decaisne		-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
योग:- 400														

वन दरोगा

वनक्षेत्राधिकारी
अखिल सिन्धुगढ़
भारतगढ़वाड़ा

प्रभाषी वन/संरक्षकरी
असकम/वा भूषि/ संरक्षण वन
प्रभाग गिरीश्वर
फोन नं० 01372-262210

प्रभाषी वन/संरक्षकरी
वन संरक्षण विभाग
गिरीश्वर (भारतगढ़वाड़ा)



परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मींग गधेरा-
-डांगतोली, ~~पुन्डा-सुनेड~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है0 सिविल भूमि तथा 1.347 है0
वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है0 का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मोटर मार्ग से प्रवाहित होने वाले बृक्षों की सूचि वार मुल्य।

क्षेत्र का विवरण	क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग सेमी	वृक्षों की संख्या	दर प्रति वृक्ष रु०	कुल धनराशि रु०
1	2	3	4	5	6	7
मींग गधेरा, डांगतोली, ज्यूड़ा- सुनेड़ मोटर मार्ग निर्माण	1	चीड़ हरा	0--10	48	90.00	4320.00
		पिण्डर हरा	10--20	135	240.00	32400.00
		व्यड्ड	20--30	96	600.00	57600.00
		(Pinus Roxburghii Sargent)	30--40	23	2330.00	53590.00
		40--50	25	5070.00	126750.00	
		50--60	18	8565.00	154170.00	
		60--70	16	13200.00	211200.00	
		70--80	13	18660.00	242580.00	
		80--90	19	23860.00	453340.00	
		90 Over	1	26250.00	26250.00	
2	काफल हरा	20--30	1	160.00	160.00	
	(Myrica esculenta Buch-Ham ex D. Don)					
3	खड़िक हरा	30--40	2	390.00	780.00	
	सेल्लिस बाल	50--60	3	780.00	2340.00	
	सेलिस					
	(Celtis eriocarpa Decaisne)					
Total				400	1365480.00	

अज्ञेय नदी

प्रभागीय अधिकारी

बौद्ध धर्म (बौद्ध)

प्रभागीय कार्यालय
अलकनन्दा धुमि संरक्षण वन
प्रभाग गौरीश्वर
फोन नं० 01372-252210

(61)

A-2-16

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

दिनांक

16-8-2014

पत्रांक

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मींग गधेरा-डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.919 हेतु सिविल भूमि वन पंचायत एवं आरक्षित भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 16.08.2013 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई। गणना में कोई भी बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

क्र० सं०	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है, और यह मोटर मार्ग दूरस्थ क्षेत्र की जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु कोई भी बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

वन क्षेत्राधिकारी
असेड़ सिमली
मंज नाशायथबगड

प्रभागीय वन्याधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन
प्रभाग चमोली
फोन नं० 01872-252210

प्रभागीय वन्याधिकारी
बनारस नगर प्रभाग
मोहरवर (चमोली)

वन संरक्षक

62

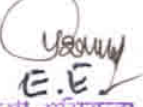
A - 2.18

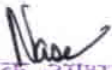
परियोजना का नाम:-

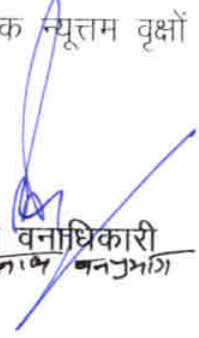
जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के
अन्तर्गत मींगडांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हैं व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


E.E.
आध्यात्मिक अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
सम्पित पी.एम.जी.एस वाई
प्रखण्ड कर्णप्रवाग


महायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0
उपखण्ड-कर्णप्रवाग


प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग

63

A-2.19

MUCK DISPOSAL PLAN

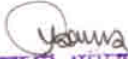
64

CERTIFICATE FOR BEARING THE COST OF MUCK DISPOSAL

Name of the Project: Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY, Phase-XIII.

It is to state that all the provisions and cost incurred in implementing the work of muck disposal has been included in the DPR for Financial sanction of the project. All the cost incurred for muck disposal and forestation works shall be borne by the user agency and the fund required by the forest department for muck disposal shall be made available by the user agency to the forest department.


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
०० एम० जी० एस० वाई०
उपरखण्ड-कर्णप्रयाग


आध्यात्मिक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समपित पी.एम.जी.एस. वाई
प्रखण्ड कर्णप्रयाग


प्रभारती व नगर अधिकारी
बनारस नगर नगर
बोपलवर (बनारस)

65

Name of the work: Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Phase-

XIII

Material received Due to Hill Side Cutting - 1,08,150.00 cu.m.
Add Swell factor @ 40% - 43,260.00 cu.m.
Total - 1,51,410.00 cu.m.

Use of Material-

Sl. No.	Item for Which Material is to be used	Quantity	Index at which the material will be consumed per unit	Quantity of material Consumed (in cu.m.)
1.	Stone Masonry in cement sand mortar	1854.00 cu.m.	1.15	2132.10
2.	Stone Masonry laid Dry	3517.00 cu.m.	1.15	4044.55
3.	Hand Packed Stone Filling	1003.00 cu.m.	1.00	1003.00
4.	Construction of Wire Crates	1750.00 cu.m.	1.00	1750.00
5.	Granular Sub- Base (GSB)	10035.00 cu.m.	1.00	10035.00
6.	Construction of Parapets	800 Nos.	0.54	432.00
7.	Construction of Road Side Drain	5000 m	0.167	835.00
8.	Construction of Scuppers	750.00 m	8.01	6007.50
9.	Concreting Works	950.00 cu.m.	0.96	912.00
Material to be Consumed for Carrying out Stage-II works				
10.	GSB (grading-1) works	13170.00 cu.m.	1.00	13170.00
11.	G3 (grading to be done using granulator at site)	4140.00 cu.m.	1.00	4140.00
12.	Super Elevation and Patri filling	15,052.00 m	0.90	13546.80
Total material consumed in cu.m.				58,007.95
Say (in cu.m.)				58,008.00

Balance Material Left for Disposal

= (1,51,410.00 - 58,008.00) cu.m.
= 93,402.00 cu.m.

As per the attached Detail, the capacity of the Dumping Zone (in 1.722 Hectare of Private Land) than the volume of debris required to be disposed off.

= 1,19,790.00 cu.m. which is more

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
10 एम० जी० एस० वाई०
उपखण्ड-कर्मचारी

आवशासक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समर्पित पी.एम.जी.एस वाई
प्रखण्ड कर्मचारी

प्रशासकीय सहायक/निरीक्षक
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
उपखण्ड-कर्मचारी

99

प्राप्त

सहायक अभियन्ता

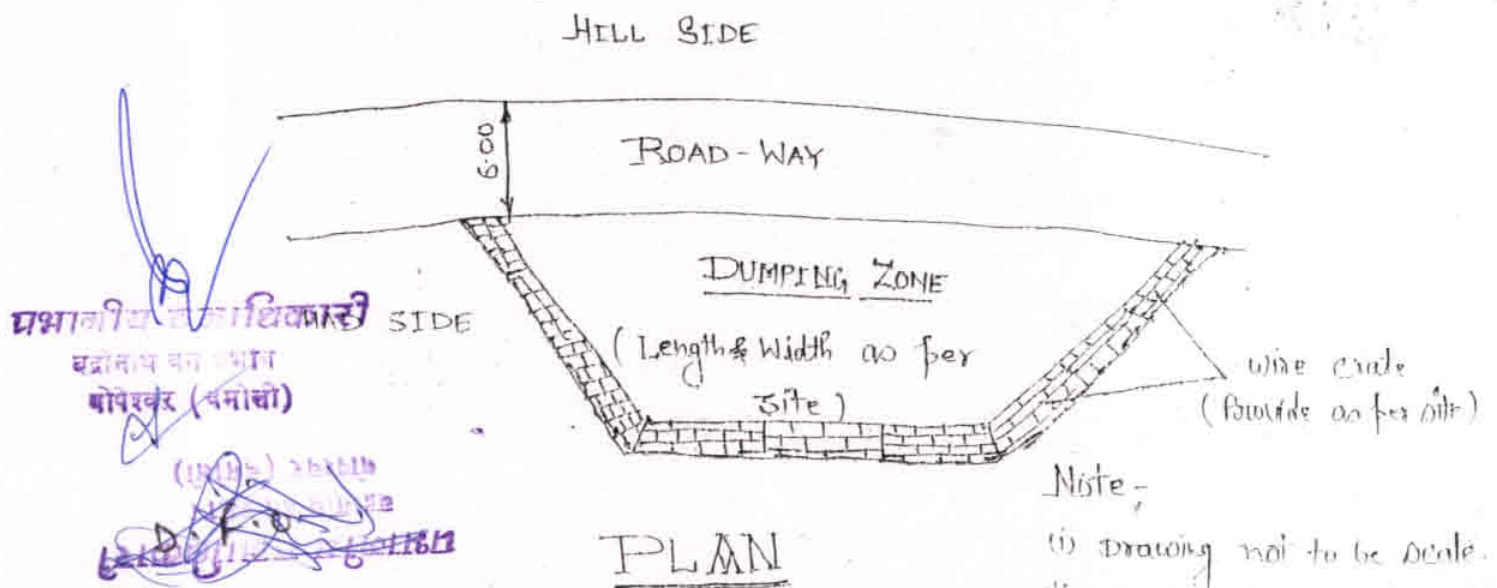
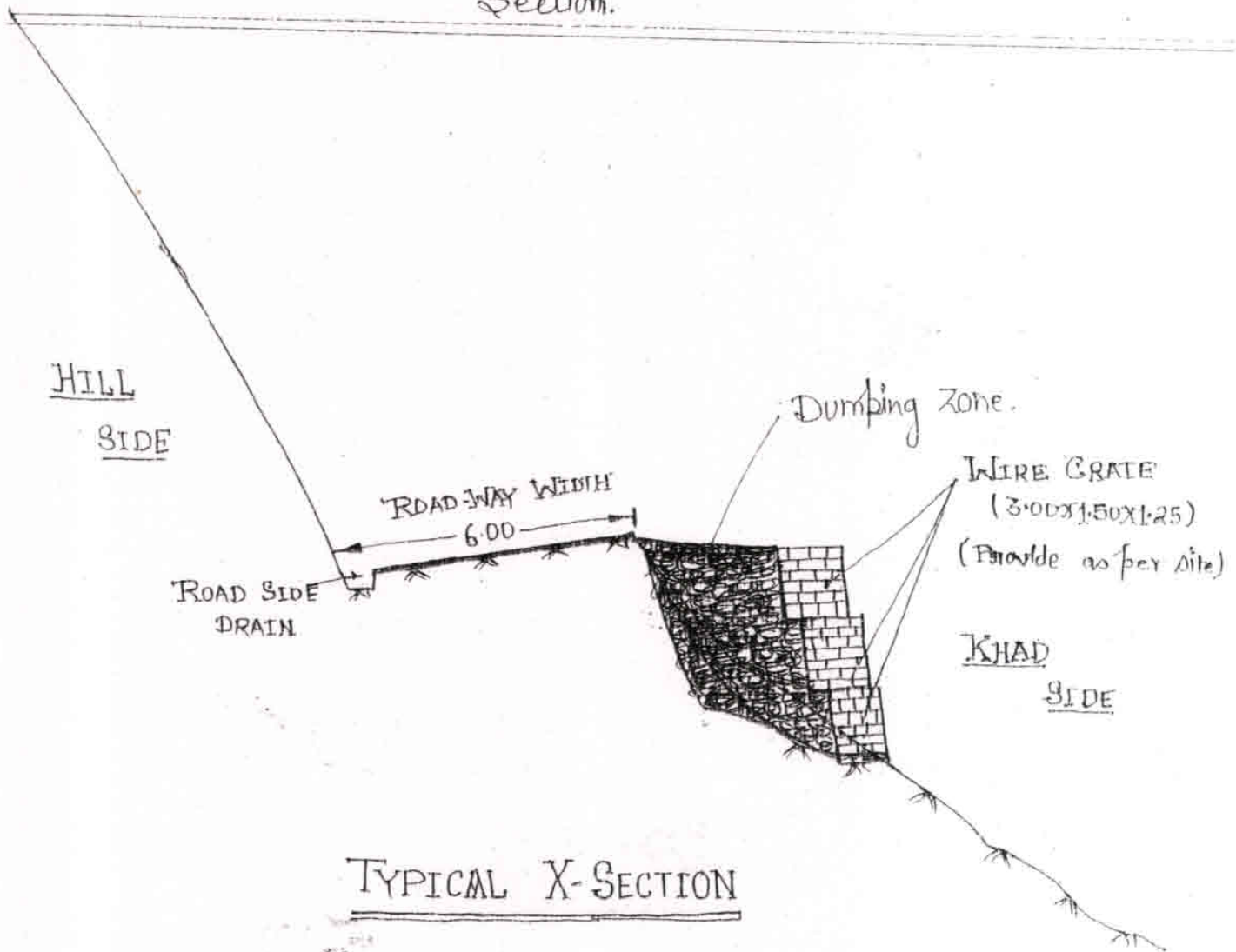
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्र सेवा विभाग

० जी० एस० वाई०

॥ एम० जी० एस० वाई० ॥
उपप्राध्यापक

(67)

Name of work :- Muck disposal plan & Cross Section.



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रादेशिक आवास एवं रूपांतरण विभाग

नाम
प्रभागीय विकास अधिकारी
बोपेश्वर (बमोली)

प्रभागीय विकास अधिकारी
(P.M.G.S.Y.)

अनापत्ति प्रमाण पत्र मलबानि हस्तगत हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणित सार्वजनिक के अन्तर्गत
मीने जलिया जंगली जमीन सन्ने मीने मीने निर्माण से
उत्पन्न मलबानि निर्माण हेतु मीने मीने के सन्ने के सन्ने
रक्त सार्व में हम बाबत कारों की बाबत है उस बाब
मीने पर मलबानि उमीदा जमीन बनाये जाने में हमें कोई
आपत्ति नहीं है हम समस्त ग्राम वारी हस्तगत कर देते हैं

ग्राम जंगली	पिता का नाम	हस्ताक्षर	रकबा/रकबा रकबा/रकबा
हस्ताक्षर	नाम	नाम	रकबा/रकबा रकबा/रकबा
1. नेरु सिंह	मीनेरवान सिंह	मीनेरवान	462 0010 624 0015
2. दलीप सिंह	" गुमान सिंह	मीनेरवान	461 0006 626 0015
3. भूपाल सिंह	" रमन सिंह	मीनेरवान	460 0008 627 0028
4. यशपाल सिंह	" बलवन्त सिंह	मीनेरवान	210 0010 625 005
5. पुष्कर सिंह	" मेहरवान सिंह	मीनेरवान	211 0017 576 0013
6. मनोज बिष्ट	" दशन सिंह	मीनेरवान	212 0050 524 0018
7. रजनी राम	" शिवान राम	मीनेरवान	251 0005 525 0008
8. मन्मथ सिंह	" मन्मथ सिंह	मीनेरवान	252 0008 526 0024
9. योगेश सिंह	" विमल सिंह	मीनेरवान	246 0015 527 0013
10. अर्जुन कुमार	" वीर सिंह	मीनेरवान	840 0011 528 0015
11. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	838 0024 651 0020
12. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	839 0035 605 0013
13. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	940 0020 606 0018
14. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	947 0013 607 0018
15. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	948 0013 608 0018
16. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	460 0010 421 008
17. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	475 0036 422 0021
18. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	477 0051 412 0020
19. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	428 0008 418 0024
20. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	407 0024 409 0035
21. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	339 0020 340 0010
22. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	348 0019 349 0019
23. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	678 0043 679 0012
24. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	678 0012 679 0012
25. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	679 0012 679 0012
26. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	679 0012 679 0012
27. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	679 0012 679 0012
28. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	679 0012 679 0012
29. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	679 0012 679 0012
30. अर्जुन सिंह	" अर्जुन सिंह	मीनेरवान	679 0012 679 0012

PHOTOGRAPHS

69



km - 0.00
to 0.30



km - 0.80
to 1.00



km - 3.725
to 3.85

Nase

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
10 एम० पी० एस० वाई०
उपखण्ड-कर्मचारी



yeowm

आयशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समर्पित पी.एम.जी.एस वाई
प्रखण्ड कर्मचारी



70

km-4.60
to 4.95



km-5.15
to 5.35



km-5.80
to 6.50

Nase

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
०० एम० जी० एस० वाई०
रायगड-कर्णप्रसाद

Prasanna

प्राधशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समर्पित पी.एम.जी.एस वाई
प्रत्युण्ड कर्णप्रसाद

(71)



km 6.70
to 7.00



km-7.20
to 7.35



km 8.40 to
8.85

Nase

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
प्लॉ एम० जी० एस० वाई०
मुम्बई-कल्याण

Yashu2

आयशाही अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समर्पित पी.एम.जी.एस वाई
मुम्बई-कल्याण



72

km - 8.98
to 9.12



km - 10.30
to 10.45



km - 10.60
to 10.80

उपस्थित
श्रीमती अश्विनी सेवा विभाग
पी.एम.जी.एस.वाई
उपस्थित कर्णप्रदाय

उपस्थित
श्रीमती अश्विनी सेवा विभाग
पी.एम.जी.एस.वाई
उपस्थित कर्णप्रदाय



73

km-10.85
to 10.95



km-11.00
to 11.10



km -11.10
to 11.15

Nase
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी० एम० जी० एस० वाई०
उपखण्ड-कर्णप्रयाग

Wansa
प्राथमिक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समर्पित पी.एम.जी.एस वाई
प्रखण्ड कर्णप्रयाग



74

km 11.15
to 11.25



Additional
land at
km 11.15
(if required)



Additional land
at km-11.25
(if required)

Nase
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
० एम० जी० एस० वाई०
उपखण्ड-कनकपुरा

Wanna
आधारी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समयित पी.एम.जी.एस वाई
पन्नाह कनकपुरा

कार्यवाही का नाम :- जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत मींग गधेरा-डांगतोली निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि तथा 1.347 है० वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डिस्पोजल प्राकलन (स्थान :-)

केट वायर स्परों का निर्माण

200 न०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०			नपत मीटरों में			मात्रा घ०मी०
		ल०	चौ०	ऊँ०	ल०	चौ०	ऊँ०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मिट्टी पत्थर कटान कार्य							
1.1	स्पर निर्माण हेतु स्थल विकास योग (मिट्टी पत्थर कटान कार्य)	200	x	1	1.50	1.50	(1.00+0) / 2	225.0000
							Cum	225.0000
2	जालीदार विछाकर आर० आर० में कोरी चिनाई कार्य							
2.1	बुनियाद सहित सुपर स्टैक्चर में चिनाई योग (जाली के अन्दर आर०आर० चिनाई)	200	x	1	1.50	1.50	1.50	675.0000
							Cum	675.0000
3	वायर केट का छैत्रफल							
3.1	बुनियाद टोप/ बोटम	200	x	2	1.50	1.50		900.0000
3.2	बुनियाद आगे पीछे	200	x	2	1.50		1.50	900.0000
3.3	बुनियाद साईड	200	x	2		1.50	1.50	900.0000
	योग (स्पर में लगे जाली का क्षेत्र)						Sqm	2700.000

G.I wire (3.15mm thick)

2700.000

Sqm

x 1.70 kg / Sqm

4590 Kg

Add : 5% wastage

Total wayar weates

= Qt

229.5 Kg
48.195000 Qt

कार्य सारांश

1	मिट्टी पत्थर कटान कार्य	225.0000 m ³	@	243.50 Rs. / m ³	54787.50	75476 16-1
2	आर० आर० झाई कार्य	675.0000 m ³	@	1,557.70 Rs. / m ³	1051447.50	75478 16-3
3	जालीदार तार को आवश्यकतानुसार काटना, बांधना, फेलना आदि	2700.0000 Sqm	@	5.15 Rs. / m ²	13905.00	वन विभाग की दरे
4	10 X 10सेमी० जालीदारतार की बुनाई	48.1950 Qt	@	1,045.00 Rs. / Qt	50363.78	-ऐ-
5	G.I wire का मूल्य मय कार्य स्थल तक ढुलान	48.1950 Qt	@	8,000.00 Rs. / Qt	385560.00	ल०सं० बाजार भाव

योग 1556063.78

या 1556064 रु० मात्र

Public Works Department Uttarakhand DSR REPORT

Name Roads & Bridges Uttarakhand

Rate Card Block 12 Narain Bagar (CHAMOLI)

Effective Date 16/05/2014

Year 2014-2015

Description

Rate (Rs.)

Item No.

Unit

1	2	3	4	5	6
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	243.50	75476	16-1	Cum.
2	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,557.70	75478	16-3	Cum.

वन विभागाधिकारी
असेकुरेसिपल रेंज

प्रभागीय बाजारिकारी
वन विभाग प्रमाण गोपेश्वर
फोन नं० 01372-252210

A-220

76

22

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.-13 के अन्तर्गत मिंगदेरा-डांगतोली ~~मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.13 के अन्तर्गत मिंगदेरा-डांगतोली ~~मोटर मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.919 हे० वन भूमि में राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०आई०
परवण्ड कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
एम०जी०एस०आई०
उपरवण्ड-कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अधिशाली अभियन्ता
समर्थित पी०एम०जी०एस०आई०
परवण्ड कर्णप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी
असिस्टेंट वनक्षेत्राधिकारी
नारायणबगड़

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
उप वन संरक्षक
असिस्टेंट वनक्षेत्राधिकारी
प्रमाण गैरेश्वर
फोन नं० 01372-252210

ए० जी० सिद्धिन्त
पटवारी
केंद्र 2/6/19
चमोली

तहसीलदार
2/1/19

उप जिलाधिकारी
2/1/19

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
वनक्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

जिला अधिकारी
चमोली

77

राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मींग गधेरा, डांगतोली, ~~पुर्वी~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है0 सिविल भूमि तथा 1.347 है0 वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है0 का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव, प्रस्तावित योजना की राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी 10.00 किमी से अधिक है। यह प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

प्रभागीय वन अधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन
प्रभाग (गोपेश्वर, नादो)

वन क्षेत्राधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन
प्रभाग (गोपेश्वर, नादो)

प्रभागीय वन अधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन
प्रभाग (गोपेश्वर, नादो)
फोन नं० 01372-252210

78

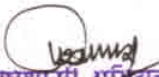
A-2.23

परियोजना का नाम--: जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मीगढ़ रोड से आंगोली पोटर मार्ग निर्माण ।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
(पी.एम.जी.एस.वाई.)
परवण्ड-कणप्रयाग


आघशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समपित पी.एम.जी.एस.वाई
परवण्ड-कणप्रयाग


नहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
(एम.जी.एस.वाई.)
उपरवण्ड-कणप्रयाग


(मीगढ़ रोड से आंगोली पोटर मार्ग)
पृ. 50


D. S. Singh

N.O.C.

आज दि० ७/१/२०१० को ग्राम-पंचायत सेनेड की एक खुली बैठक प्रधान श्री बरी देवा देवी की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई जिसमें सर्व सखरि से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि बीगां-गधरे से डंगतेली, गिलाड़ी, सेनेड तक जो सड़क खोदवाई गई है उसमें प्रधान ग्राम-पंचायत सेनेड की नाप, वेनाप भूमि पर कोई भी आपरि नहीं है सड़क निर्माण के सर्व सखरि से प्रस्ताव पारित किया गया है तथा मलवा डमिंगा एवं हमारे नाप भूमि में बनाये जाने में इसे कोई आपरि नहीं है



[Signature]
पुनम बिष्ट
मुख्य अधिकारी ग्राम पंचायत सेनेड
मुख्य अधिकारी

- 1- वीरप्रसिद्ध - 3387
- 2- सगुनसिंह - रंगमणि सिंह
- 3- दशरथसिंह - 3387
- 4- उदेसिंह - 3387
- 5- बलवत्सिंह - वि० सरन. वीर
- 6- लक्ष्मी देवी - लक्ष्मी देवी
- 7- लखवत्सिंह - लखवत्सिंह
- 8- किवरसिंह - किवरसिंह
- 9- पानसिंह - पानसिंह
- 10- मोहनसिंह - मोहनसिंह
- 11- नारायणसिंह - नारायणसिंह
- 12- पुष्करसिंह - पुष्करसिंह
- 13- जसपालसिंह - जसपालसिंह
- 14- श्रीरामसिंह - श्रीरामसिंह
- 15- किशनसिंह - किशनसिंह
- 16- कुन्दनसिंह - कुन्दनसिंह
- 17- रामसिंह - रामसिंह
- 18- यशपालसिंह - यशपालसिंह
- 19- हरसिंह - हरसिंह
- 20- सुभासिंह - सुभासिंह
- 21- इन्द्रसिंह - इन्द्रसिंह

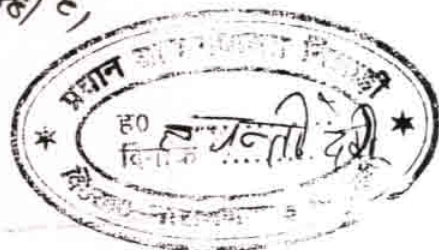
प्रस्ताव - ग्राम-पंचायत-निलाडी

आज दिनांक 10-1-10 को ग्राम-पंचायत निलाडी की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मीरगढ़ से डांगरौली, निलाडी, सरेड एवं जूड़ा तक राष्ट्रीय राजगार सड़क योजना के अन्तर्गत जो सड़क निर्माण कार्य चलेगा उसमें ग्राम-पंचायत निलाडी की ओर से कोई विरोध नहीं है। समस्त जनता यह चाहती है कि हमें मुख्य भागी से जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए, हम सभी की इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी नापसुखी भी करेंगे तो हमें हस्ताक्षर समस्त ग्रामवासी - कोई आपत्ति नहीं है, मलवा उमरेगा हेतु कोई आपत्ति नहीं है,

- 1- गंगा देवी
- 2- ~~Devi~~
- 3- ~~Devi~~
- 4- Jug Jeevan Singh
- 5- NARENDRA Singh
- 6- गंगा देवी

पुनम बिन्दु

स्थ क्षेत्र पंचायत डांगरौली
नालाबन्दा



- 7- गंगा देवी
- 8- किशन राम
- 9- मधु देवी
- 10- बीना देवी
- 11- कमला देवी
- 12- M. B. Singh
- 13- शकुल देवी
- 14- नेता देवी
- 15- पुष्पा देवी
- 16- देवी देवी
- 17- जगदीश देवी
- 18- पवित्रा देवी
- 19- सुरेश देवी
- 20- ~~Devi~~
- 21- ~~Devi~~
- 22- ~~Devi~~
- 23- ~~Devi~~

- 26- ~~Devi~~
- 27- ~~Devi~~
- 28- देवी देवी
- 29- राम देवी
- 30- ~~Devi~~
- 31- ~~Devi~~
- 32- ~~Devi~~
- 33- ~~Devi~~
- 34- ~~Devi~~
- 35- ~~Devi~~
- 36- ~~Devi~~
- 37- ~~Devi~~
- 38- दीपा देवी
- 39- ~~Devi~~
- 40- ~~Devi~~
- 41- ~~Devi~~

81

81

हउ

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------|
| 17 | त्रिलोकसिंह शर्मा व्याससिंह | त्रिलोकसिंह |
| 18 | वीरेन्द्रसिंह शर्मा कुमदनसिंह | वीरेन्द्रसिंह |
| 19 | इन्द्रसिंह शर्मा रत्नसिंह | इन्द्रसिंह |
| 20 | विष्णुसिंह शर्मा वृंक्षसिंह | Vijaybhai |
| 21 | महेन्द्रसिंह शर्मा अवधसिंह | महेन्द्रसिंह |
| 22 | बुद्धसिंह शर्मा केशवसिंह | बुद्धसिंह |
| 23 | महिपालसिंह शर्मा गंगासिंह | महिपालसिंह |
| 24 | जानेसिंह शर्मा गंगासिंह | जानेसिंह |
| 25 | जानेसिंह शर्मा गंगासिंह | जानेसिंह |

नाम
समस्त (अभियन्ता)
प्रादेशिक अभियन्ता सेवा विभाग
बीकानेर-तीर्थपुर रोड
जयपुर-का प्रभाग

प्राधान्य
22/11/2014

प्राधान्य
22/11/2014

प्राधान्य
22/11/2014

प्राधान्य
22/11/2014

प्राधान्य
22/11/2014

प्राधान्य
22/11/2014

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली मे प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना फेज न.- 13
के अन्तर्गत भिंगगदेरा-डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु
2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे०
का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित विभाग द्वारा आवेदित भूमि पर अभी कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

40 एम० जी० एल० वाई०

उपजल-कर्मप्रदाय

अधिसारी अभियन्ता

अधिसारी अभियन्ता

समन्वित पी.एम.जी.एल.वाई

प्रकल्प कार्यप्रदाय

वनक्षेत्राधिकारी
असई क्षेत्राधिकारी
नारायणदागड़

उप वन संरक्षक अधिकारी

अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन

प्रमदा गोपेश्वर

फोन नं० 01372-252210

पटवारी

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

प्रभागीय जिलाधिकारी

बद्रोनाथ वन क्षेत्र

गोपेश्वर (चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली

A-2.28

83

21

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर - I
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

भू - गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0 -220/सड़क/पुल समरेखण/गढ़वाल/2011

**Geological Assessment of the Proposed
alignment of Ming- Dangtoli Motor Road.
Distict- Chamoli, Uttarakhand.**

06-सितम्बर-2011

Geological Assessment of the Proposed alignment of Ming-Dangtoli Motor Road. Distict- Chamoli. Uttarakhand.

- 1- **Introduction:-** Rural Engineering Services Division, (PMGSY) Public Works Department, Karanprayag, has proposed the construction of ~~16.725~~ 16.725 km long Ming-Dangtoli, motor road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, ~~Pradhan~~. On the request of the Executive Engineer, the undersigned carried out geological assessment of the proposed alignment corridor of the above said road on 27-07-2011. Er. Vishambhar Singh Rawat, the Executive Engineer, Er. Surendra Singh Rana, the Asst. Engineer, Tek Singh Kanwasi, the Junior Engineer, was also present during the visit.
- 2- **Location:-** The alignment of the proposed road originates from Km 33.00 of karanprayag – Gwaldam motor road, near Narayanbagad a small town in District- Chamoli.
- 3- **Regional Geology and the Geology of the Area: -** The area of the proposed alignment falls in Inner Himalaya or High Himalaya which is completely occupied by the rocks of Central Crystalline Group which are highly metamorphosed and occasionally tectonized sheared and shattered. The alignment corridor of the above said road originates through the upslopes of Karanprayag- Gwaldam motor road for about 125 m, with a close level difference and the up and down slopes of the alignment comprised of huge angular boulders embedded in clay- silt matrix. The shear strength of the slope forming material at this reach has been estimated low, hence, any box cut on the slope may cause failure to the up and the down slope due to the alternation of the slope angle and water seepage through the berm developed for the formation of the road. Though 2.0 m wide bridal path exists across the slope face almost parallel to the alignment for about 1.00 km length and no failure or slide scars are visible on its either side, but it is apprehended that any wide cut may cause the slope to move down, hence the half cut – half fill and walling method will be the safe mode to form the road in this reach. The slope between km 1.00 and km 7.00 are inclined at 45° to 65° in N 100 to N 160 direction and covered with thick envelope of overburden material of the

(85)



material are embedded in clay - silt matrix and the entire composite material has attained good degree of natural compaction, hence the Unconfined Shear Strength of this material has been improved to 350 k Pa as compared to the strength of the material present in the reach described earlier. The end portion of the proposed alignment between 09 km to 16.75 km mostly passes through the cultivated fields which are nothing but terrace type cut on the slope giving staircase like appearance to the land form. Due to the formation of berms the slope has been broken up and reduced, into moderate angle thus enhancing the overall stability of the entire slope.

The insitu rock is exposed at many places along the alignment, but almost for a short extent not > 50.00 m. The rock mass at these short reaches is occasionally fresh, otherwise weathered to $W_1 - W_2$ grade (moderate). The rock mass has been traversed by many linear joints which are tight and sealed by the secondary infill like quartz vein. The Uniaxial Compressive Strength of these rocks has been estimated between 75 MPa to 200 MPa.

The Rock Quality Designation (RQD) for these rocks was calculated between 48 % to 80% and the ratio of the relative block size i.e. RQD / Joint number was found greater.

The Rock Mass Rating (RMR) of these rocks was 61%- 80% (Good Rock).

The Unconfined Shear Strength of the overburden material was calculated between 50 k Pa to 300 k Pa and the angle of repose of the disturbed soil was recorded 30°.

The details of the major joint sets of the rock mass are as follows:-

Table-1

S.No	Feature	Dip angle	Azimuth
1	2	3	4
J ₁	(So bedding greissocity) joint	45	N 190 - N 205
J ₂	joint	62	N 028 - N 055
J ₃	joint	57	N100 - N 140
J ₄	joint	60	N 240

86

A

All the facets of the slopes through which the alignment passes looks stable and do not bear any significant impression of slope failure.

Presently the up and down slopes of the alignment corridor are free from ground deformation.

On the basis of the study carried at the site and the facts mentioned above the following remedial measure are being suggested for the construction of the road.

4- Recommendation:-

- (i) Any type of cutting should be avoided from 0.00m to 125.00 m reach the road through this section must be formed by walling only.
- (ii) Cut and fill method to be adopted for road formation through the length excavating the above mention reach and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the possible extent.
- (iii) If the road is constructed with the above technique the fill material must be compacted to the required density to withstand through the designed life.
- (iv) Blasting by explosives on the rock is to be restricted to the minimum.
- (v) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable corrective i.e. simple Vegetative turning, bitumen mesh treatment and slide treatment by jute netting coir netting etc.
- (vi) Adequate drainage measure and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are to be provided.
- (vii) The retaining and breast walls must be designed properly so as to retain the original ground of the up slopes.
- (viii) Strict adherence is required to the norms and standards laid for the construction of similar type hill roads.



-4-

- 5- **Conclusion:-** On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site was found geologically suitable for the construction of Ming- Dangtoli, motor road .

V. Dangwal
06/09/2011

(Vijay Dangwal)
Sr. Geologist
Chief Engineer Level- I,
PWD Dehradun.

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitu. much treatment and slide treatment by jute netting coir netting. these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

89

37

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियों याचक विभाग को मान्य हैं।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
प्रमोद जी. एस. वाई.
उपप्रमुख-कार्यप्रवाह

ह0/-
अधिशाली अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
समर्पित पी.एम.जी.एस.वाई.
प्रमुख कार्यप्रवाह

(90)

(38)

मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3, 30प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा ।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये । केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी

प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।

11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा । यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा ।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है । इसी प्रकार वांज(OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है । ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा ।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा । यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी । जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा ।

92

40

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी ।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये ।

उपरोक्त शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं ।

अपीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
प्लॉट नं० १५०० वाई०
उपग्राम विकास विभाग

अधीनस्थ अभियन्ता
ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता
समिति पी.एच.जी.एस.वाई०
ग्रामीण विकास विभाग

(93)

A-231

मानक शर्तों के अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि 2.572 है० वन पंचायत भूमि 1.347 है० कुल वनभूमि 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का मार्ग निर्माण के दौरान याचक विभाग द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया जायेगा

कनिष्ठ अभियन्ता
आपरेटिंग सहायक अभियन्ता
परवण्ड कर्णप्रदाय

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एल.वाई
उपरवण्ड-कर्णप्रदाय

आयुक्त अभियन्ता
आयुक्त अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समपित पी.एम.जी.एल.वाई
परवण्ड कर्णप्रदाय

94

A-2-31



भू-गर्भवैता द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.- 12 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डांगतोली ~~का~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न. 12 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डांगतोली ~~का~~ मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भू-गर्भवैता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

अमीन

कनिष्ठा अभियन्ता
ग्रामीण आवास-रक्षण सेवक केन्द्र पी० एम० जी० एल० वाई०
पी० एम० जी० एल० वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण आवास-रक्षण सेवक केन्द्र पी० एम० जी० एल० वाई०
उपखण्ड-कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण आवास-रक्षण सेवक केन्द्र पी० एम० जी० एल० वाई०
समपित पी० एम० जी० एल० वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

95

A-2-32

धार्मिक / पौराणिक ऐतिहासिक स्थल न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.- 13 के अर्न्तगत भिंगगदेरा-डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.57 हे० सिविल भूमि 1.34 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.91 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित सिविल वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मकान, शमसान घाट व कब्रस्थान आदि स्थित नहीं है, तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य परियोजना किसी को भी आवंटित नहीं की गई है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसूची अभियन्ता

समावेत पी.एम.जी.एस.वाई

प्रकृण्ड कर्णप्रदाय

वनक्षेत्राधिकारी
असेडक्षेत्राधिकारी
नारायणबगड़

उप वन संरक्षक
अलेखान्दा भूमि संरक्षण वन
प्रभाष गोपेश्वर
फोन नं० 01372-252210

ए० डी० विहिरी
पटवारी
चमोली

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

प्रभागीय सहायक अधिकारी

बद्राज व वन विभाग
बोपेश्वर (चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली

(96)

A-2.33

~~A-2.33~~

वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र

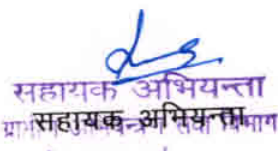
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.- 13 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डांगतोली ~~मार्ग~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा वन्यजीव / स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

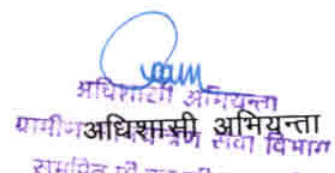

अधीन


कनिष्ठ अभियन्ता

ग्रामीण आवासन-संवर्धन विभाग
(पी.एम.जी.एस.वाई.)
परवण्डा, कर्णप्रदाग


सहायक अभियन्ता

ग्रामीण आवासन-संवर्धन विभाग
(पी.एम.जी.एस.वाई.)
उपखण्ड-वनप्रदाग


अधीन

ग्रामीण आवासन-संवर्धन विभाग
(पी.एम.जी.एस.वाई.)
परवण्डा, कर्णप्रदाग

A-234

(97)

परियोजना के निर्माण में कार्यरत मजदूरों को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न-13
के अन्तर्गत मिंगदेरा-डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु
2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे०
का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति के
पश्चात् निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर कार्य करने वाले मजदूरों को एजेन्सी / ठेकेदार द्वारा
खाना बनाने हेतु मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जायेगा।

असीन

कृषि अभियन्ता

प्रमाण अभियन्ता सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०आर०
प्रखण्ड कर्णप्रदाग

सहायक अभियन्ता
प्रमाण अभियन्ता सेवा विभाग
सहायक अभियन्ता

प्रमाण अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०आर०
प्रखण्ड कर्णप्रदाग

(98)

A-2-35

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-XIII के अन्तर्गत मींगगदेरा-डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 है० सिविल भूमि 1.347 है० वन पंचायत भूमि कुल 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०स०	ग्राम का नाम	कोड नम्बर	जनसंख्या
1	डांगतोली	00149000	383
2	देवपुरी	00149700	135
3	निलाड़ी	00149800	216
4	सनेड़	00150200	258
5	ज्यूडा	00150100	358
6	मरोड़ा	00148200	331
		योग:-	1681

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
(पी०एम०जी०एस०वाई०)
उपखण्ड-कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
(पी०एम०जी०एस०वाई०)
उपखण्ड-कर्णप्रयाग

अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समर्पित पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

एन०पी०वी०/ ईको क्लास प्रमाण-पत्र

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)

परियोजना का नाम:- मीग गधेरे-डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि
3.919 हैक्टेयर वनभूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कर्णप्रयाग को हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत पड़ने वाली
वन भूमि ईको क्लास-~~IV~~^V तथा Dense forest (0.4 घनत्व) के अंतर्गत आता है, जिसका
एन०पी०वी० का मूल्य 3.919 है० X 939004/- प्रति है० की दर से रु० 3679941.00
(रुपये छत्तीस लाख उनस्सी हजार नो सौ इकतालीस) मात्र होता है।

(एन०एम० पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

एन0पी0बी0 देयता का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.- 13
के अर्न्तगत मिंगदेरा-डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु
2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे०
का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0बी0 की धनराशि
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी, इसके अतिरिक्त
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0बी0 की धनराशि में कोई बढोत्तरी की जाती
है तो एन0पी0बी0 की अतिरिक्त धनराशि भी ग्राम विकास विभाग द्वारा जमा करा दी
जायेगी।

9/11/20
अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण आभ्यन्तरण सेवा विभाग
(पी0एन0बी0एस0डी0) ज० एम० जी० एस० वाई०
प्रखण्ड कार्यालय

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण आभ्यन्तरण सेवा विभाग
(पी0एन0बी0एस0डी0) ज० एम० जी० एस० वाई०
उक्त कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण आभ्यन्तरण सेवा विभाग
(पी0एन0बी0एस0डी0) ज० एम० जी० एस० वाई०
उक्त कार्यालय

101

A-2.38

101

वन भूमि का मूल्य प्रमाण- पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न.- 12 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.572 हे० सिविल भूमि 1.347 हे० वन पचायत भूमि कुल 3.919 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न. 12 के अन्तर्गत मिंगगदेरा-डांगतोली ~~मोटर~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.919 हे० सिविल भूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत मात्र रुपये 7,50,000.00 प्रति हे० की दर से रुपये 2939250 ~~लाख~~ की धनराशि आती है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिकांशी अभियन्ता

ग्रामीण अधिकांशी अभियन्ता

सहायक पी.एम.जी.एस.वाई

प्रकल्प कर्ता

(पी.एम.जी.एस.वाई) पी० एम० जी० एस० वाई०

उपजिलाधिकारी

प्रखण्ड कर्ता

ए० बी० सिद्धी

ग्राम्य विकास विभाग

क्षेत्र पटवारी

चमोली

तहसील दार

9/1/17

उप जिलाधिकारी

9/1/17

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

जिला अधिकारी

चमोली

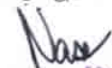
आर०सी०सी० पिलरों की धनराशि को वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा डांगतोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि 2.572 है० वन पंचायत भूमि 1.347 है० कुल वनभूमि 3.919 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना हेतु आर०सी०सी० पिलरों निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वहन की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
आर० सी० सी० पिलरों की धनराशि
पी०एम०जी०एस०वाई
उत्तराखण्ड


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
आर० सी० सी० पिलरों की धनराशि
उत्तराखण्ड-कण प्रयाग


आयुक्त अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
समपित पी०एम०जी०एस०वाई
उत्तराखण्ड-कण प्रयाग

104

15

SITE INSPECTION ACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

For the forest land to be diverted under FCA

A proposal has been received by this office from Dt पी.एम.जी. एस.वाड.प्र.व.व.ड. for diversion क.प.प्र.म.ग. under FCA-1980) of 3.919 ha of forest land non-forestry purpose the project सिन्धु मेरु माउंटिनिंग envisages the use of forest land for सी.ज.ए. डी.ग.ए.सी. ज.व.ड. the site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

On inspection of the site it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed /Protect forest measuring

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col .2 PartOI is unavoidable and is barest minimum required for the Project .

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area if so the details there of .

Whether any protected archeological /heritage site /defense establishment or any other important monuments is located in the area if so the details there of with NoC from competent authority if required .

- a) ☒ the user agency has not violated the provisions of forest conservation Act 1980 and on work has been started without proper sanction .
- b) ☒ It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act 1980 provisions . A detail report as per para 1.9 of chapter I Para C of Handbook of forest (Conservation) Act 1980 is attached .

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal .

Place- Gopeshwar

Date -

(Signature)

Name

Designation

office Seal

N.B.

- X State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
- XX out of (a) and)b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable .

As per letter number 2-2/2000FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land the site inspection report form dCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required .

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -
(प्राप्ति की तिथि के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

7- परियोजना / स्कीम का स्थान

(1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र

(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि / श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का गौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हो / तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय / पौरम्यरिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हो / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

जनपद चम्पली से प्र० म० शा० स० मो० फेज 10 के अन्तर्गत मिर्जा गिरा डांगलोली जमीन मोटर मार्ग

उत्तराखण्ड

चम्पली

वडीनाथ वन प्रभाग डोपेश्वर

उत्तम

0.1 700.84

प्रस्ताव संलग्न

प्रस्तावित क्षेत्र में भूक्षरण की सम्भावना नहीं है, भू-वैज्ञानिक की आरव्या संलग्न

नहीं

नहीं

नहीं

वनपंचायत व सिविल वन भूमि न्यूनतम है, अभी भाग प्रस्तावित है, स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य करवाया जायेगा,

नहीं

संलग्न

106

4

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

संलग्न

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिय्य

प्राकृतन प्रस्ताव मे संलग्न

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र - 8030 वर्ग कि०मी०
- (2) जिले का वन क्षेत्र - 5061.002 वर्ग कि०मी०
- (3) मामलों की संख्या सहित, 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 213 भाग 843.00 हे० 766.26 हे०
- (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर - रिक्त
- (5) 2013 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर - रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 843.00 हे० 766.26 हे०

लागू नहीं

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्तुति दी जाती है।

तिथि - अलकनन्दा
स्थान - वन प्रभाग
हस्ताक्षर

वनक्षेत्राधिकारी
असेट्ट सिमली रेंज
नारायणगढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
अलकनन्दा वन संरक्षण वन
(नाम प्रमाण पत्र नं० 01/2013/2626)
हस्ताक्षर

प्रभागीय वन अधिकारी
वन संरक्षण वन
(नाम प्रमाण पत्र नं० 01/2013/2626)
हस्ताक्षर